राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम

निर्देशिका

तम्बाकू नियंत्रण–एक समन्वित प्रयास

राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश

उ0 प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन

5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

सम्पर्क सूत्र : फोन - 0522-2725586 Mob: 9415182514

ई–मेल : upvhalko@gmail.com वेबसाइट : www.upvha.org

31 मई – विश्व तम्बाकू निषेध दिवस
प्रत्येक दिवस विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनायें
यलो लाइन कैम्पेन

REPORT LAUNCH
ILLICIT TOBACCO TRADE IN INDIA
What Government reports tell us
Thursday, 25th Feb, 2021
Seminar Hall

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003

(COTPA)

प्रवर्तन दिशानिर्देश एवं सम्बन्धित शासनादेश उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग – 8

संख्या–1287 पांच–8–2005–120 रिट/2001

लखनऊ : दिनांक 16 मई, 2005

अधिसूचना

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम–2003 की धारा – 25(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ''महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0'' को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियां का प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन हेतु समुचित प्राधिकारी अधिकृत करते है।

आज्ञा से

(सिद्धार्थ बेहुरा)

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग – 8
संख्या–149 / पांच–8–2004–120 रिट/2001
लखनऊ : दिनांक 24.01.05 दिसम्बर 2004

कार्यालय ज्ञापन

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम–2003) के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ''एन्टी टोबैंकों सेल'' का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्साधिकारी	संयोजक/सदस्य
4.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
6.	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	मुख्य खाद्य निरीक्षक	सदस्य

2. समिति द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों से क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन हेतु की जा रही कार्यवाही की मासिक समीक्षा कर नियमित रिर्पोट महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0, शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(अशोक घोष)
सचिव

तम्बाकू के विषय में आवश्यक जानकारी

अप्रत्यक्ष धूम्रपान

धूम्रपान करने वाले न करने वाले को हानि पहुँचाते हैं। तम्बाकू का धुआँ घर, कार्यालय, बस, रेलगाड़ी, वायुयाद आदि में वातावरण को प्रदूषित करता है। घर में यह उनकी पत्नी, बच्चों और मित्रों को नुकसान पहुँचाता है।

तम्बाकू के कुछ अन्य प्रभाव

तम्बाकू कुछ दवाइयों का शरीर पर प्रभाव कम कर देता है जैसे एनलजैसिक दर्द निवारक दवाइयाँ और दमे में प्रयोग आने वाली दवाइयाँ। तम्बाकू खिलाड़ियों की शक्ति को कम कर देता है। शारीरिक व्यायाम के दौरान और उसके बाद क्षीण शक्ति महसूस करते हैं। श्वांस लेने, दौड़ने और खेलकूद सम्बन्धी कार्यकलापों में कठिनाई महसूस करते हैं। जल्द ही थक जाते हैं। भले ही धूम्रपान करते हुए आप 'ट्रेण्डी' 'कूल' या 'फैशनेबल' दिखाई देते हो, यह आपको नपुंसक/बांझ वना सकता है। धूम्रपान और तम्बाकू सेवन से दांत में धब्बे हो जाते है और श्वास से बदबू आती है। धूम्रपान और तम्बाकू सेवन से आपकी त्वचा और बाल रूखे हो जाते हैं। इससे झुर्रियां होने की सम्भावना होती है। बीड़ी पीने वालों को भी यह सभी खतरे होते हैं। यदि आप तम्बाकू पीना छोड़ दें तो आपका सिर दर्द चला जायेगा। आपकी स्वाद और सूँघने की शक्ति बढ़ जायेगी। आप अधिक ताजगी और स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका खाँसी और बलगम ठीक हो जायेगा। मुँह की दुर्गन्ध दूर हो जायेगी। आपको फेफड़े का कैंसर और दिल के दौड़े का खतरा कम होगा। महिलाओं को मृतक बच्चे, कम वनज के शिशु तथा स्वतः गर्भपात का खतरा कम होगा। आप दीर्घायु होंगे।

धूम्रपान करने वालों को संदेश

परामर्श करें। कृपया आपकी अपनी धूम्रपान की आदत अपने मित्रों में डालें। धूम्रपान से स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव के अतिरिक्त इसके आर्थिक और सामाजिक खतरे भी हैं। लापरवाही से सिगरेट या बीड़ी के टुकड़े फेकने से आग भी लग सकती है।

- तम्बाकू का किसी भी रूप से सेवन न करें, एकांत में भी नहीं।
- सभी तम्बाकू उत्पाद हानिकारक हैं।
- कोई भी तम्बाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नहीं है।
- बीड़ी उतनी ही हानिकारक है जितनी की सिगरेट।
- सेकेन्ड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है।
- तम्बाकू चबाने से मुँह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं।
- तम्बाकू के प्रयोग से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभावों और परिवार की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है।
- धूम्रपान छोड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहित करें।
- धूम्रपान नहीं करके या तम्बाकू नहीं चबाकर दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें।
- लोगों को जागरूक करना कि आपके क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं और सार्वजनिक स्थान धुएं से मुक्त हों।
- युवाओं को तम्बाकू सेवन शुरू करने से बचाना।
- अपने कार्यालय, फार्म पार्टी व पास के स्कूलों के लोगों के साथ तम्बाकू नियंत्रण पर चर्चा करना।

धूम्रपान को कैसे रोकें

अपनी तलब को थोड़ी देर भुला दें, धीरे–धीरे घूट लगाकर पानी पियें। गहरी सांस लें। तम्बाकू से सेवन की तलब से ध्यान बांटने के लिए कोई दूसरा कार्य करें। अपनी सामान्य दिनचर्या में बदलाव लायें। सुबह की सैर पर जाएं, नया शौक अपनाएं। उन जगहों पर न जायें जहाँ आपका मन धूम्रपान करने/ तम्बाकू चबाने के लिए ललचाए। अपने साथ सौंफ, मिश्री, लौंग या दालचीनी रखें और तम्बाकू के सेवन की तलब घटाने के लिए उनका इस्तेमाल करें। धूम्रपान रोकने का उत्तम तरीका है **''धूम्रपान शुरू ही न करें।''**

- दृढ होना।
- धूम्रपान छोड़ने की तारीख नियत करना और इसका पालन करना।
- तम्बाकू उत्पाद, लाइटर, माचिस और ऐश ट्रे को नष्ट करना।
- अपने परिवार व परिचितों से कहें कि आप धूम्रपान छोड़ रहे हैं। उनसे कहें कि वे आपको प्रोत्साहित करके आपकी मदद करें।
- ऐसी परिस्थितियों का पता लगायें जो आप में धूम्रपान करने की इच्छा जगाती हैं और उनसे बचें।
- शरीर से नीकोटीन समाप्त करने के लिए दौड़ना, तैरना व साइकिल चलाना।
- मांस पेशियों का तनाव दूर करने के लिए व्यायाम।
- नीद न आने पर डाक्टरी सलाह।
- तम्बाकू के स्थान पर लौंग इलायची व चिंगम का प्रयोग।
- मुँह सूखने पर पानी अधिक मात्रा में पियें।
- चित विक्षेप अवसाद में सुरीले संगीत व टहलना।
- धूम्रपान करने के लिए दबाव बनाने वालों से विनम्रता से मना करना।

धूम्रपान छोड़ने के फायदे

- धूम्रपान छोड़ने से आप बेहतर महसूस करेंगे और आप भोजन का बेहतर स्वाद ले पायेंगे।
- धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद सामान्य हो जायेगा रक्त चाप व हृदय गति।
- धूम्रपान छोड़ने के 8 घंटे बाद नीकोटीन व कार्बन मोनोआक्साइड आधा हो जाता है। आक्सीजन लेबिल सामान्य होने लगता है व फेफड़े का कार्य बेहतर होने लगता है।
- 24 घंटे बाद : शरीर के बाहर निकल जाता है कार्बन मोनोआक्साइड, फेफड़े छोड़ने लगते हैं। धुएं से निकलने वाली हानिकारक गैसे।
- 48 घंटे बाद : आपकी सुगंध की संवेदना बढ़ जाती है, शारीरिक कार्यकलाप आसान हो जाता है और अधिक मात्रा में वायु फेफड़े में जाती है। शरीर में नहीं रह जाते हैं निकोटिन के अंश।
- 72 घंटे बाद : सांस लेना आसान हो जाता है। ऊर्जा के स्तर में बढ़ोत्तरी होती है।
- 2 से 4 हप्ते बाद : रक्त संचार सुधरता है।

- 3 से 9 महीने बाद : फेफड़े 10 प्रतिशत अधिक क्षमता से कार्य करते हैं और कष्ट घबराहट, श्वांस सम्बन्धी परेशानियाँ दूर करने में सक्षम होते हैं, अंगों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है।
- 12 से 60 महीने बाद : धूम्रपान जारी रखने वाले व्यक्ति की तुलना में हृदय रोग का जोखिम आधा हो जाता है।
- 10 वर्ष बाद : धूम्रपान जारी रखने वाले व्यक्ति की तुलना में फेफड़े के कैंसर का जोखिम आधे से भी कम हो जाता है।
- 15 वर्ष बाद : हार्ट अटैक और अभिघात का जोखिम उतना ही होता है जितना कभी भी धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति में होता है।

तम्बाकू नहीं जीवन चुने

तम्बाकू का शौक – किश्तों में मौत

देना है संदेश
हर घर, गाँव और देश में
मौत छुपी है तम्बाकू के वेश में

तंबाकू का बोझ

तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में मौत के उन अग्रणी कारणों में है जिसे रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक हर साल दुनिया भर में तकरीबन 55 लाख जीवन तंबाकू के उपयोग के कारण खत्म हो जाते हैं। भारत में तंबाकू का उपयोग करने वालों की संख्या दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है।

भारत में तंबाकू के उपयोग का स्वास्थ्य पर बोझ

भारत में तंबाकू का उपयोग करने वाले 2750 लाख हैं। (यानी) भारत में सभी वयस्कों में 35%।

भारत में 13 लाख लोग हर साल तंबाकू से संबद्ध बीमारियों से मरते हैं।

रोज 3500 **भारतीय** तंबाकू के कारण अपना जीवन खोते हैं।

2020 तक भारत में होने वाली सभी मौतों में 13% तंबाकू के उपयोग के कारण होगी।

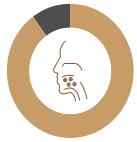

भारत में मुंह के कैंसर के सभी मामलों में 90% तंबाकू के उपयोग से संबंधित हैं।

भारत में कैंसर के सभी मामलों में 90% तंबाकू के उपयोग से संबंधित हैं।

भारत में तंबाकू के उपयोग का आर्थिक बोझ

35-69 साल के लोगों में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों पर होने वाला कुल प्रत्यक्ष और परोक्ष खर्च 2011 में 1.04 लाख करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद का 1.16% है।

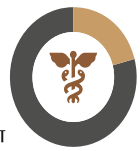

राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय का करीब 21% अकेले तंबाकू के कारण होने वाले चिकित्सीय खर्चों के मद में हैं।

तंबाकू की कुल आर्थिक लागत का करीब 17% भारत सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में प्राप्त करती है (खर्च किए जाने वाले 21% की तुलना में बहुत कम)।

अकेले उत्तर प्रदेश में वर्ष **2011** के दौरान तंबाकू के उपयोग के कारण कुल आर्थिक लागत **7335** करोड़ रुपए थी।

उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उपयोग

33.9% वयस्क इस समय किसी ना किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं।

48.8% पुरुष तंबाकू के मौजूदा उपयोगकर्ता हैं।

16.9% महिलाएं तंबाकू की मौजूदा उपयोगकर्ता हैं।

14.9% वयस्क तंबाकू (सिगरेट बीड़ी के रूप में) के उपयोगकर्ता हैं।

25.3% वयस्क इस समय धुंआहीन तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं। (**35.4%** पुरुष और **13.7%** महिलाएं हैं)

भारत में तंबाकू के उपयोग के कारण स्वास्थ्य पर कुल बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के हिस्से है।

तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर के मामलों में 52% उत्तर प्रदेश और दो अन्य राज्यों के हिस्से आता है।

तंबाकू का बोझ

अगली पीढ़ी का ख्याल रखना

भारत में युवाओं के बीच तंबाकू का उपयोग

दि ग्लोबल यूथ टुबैको सर्वे (जीवाईटीएस) **2006, 13-15** साल के किशोरों के बीच किया गया जिससे पता चलता है कि :

हर दिन **5500** भारतीय युवा धूम्रपान शुरू करते हैं।

14% छात्र किसी ना किसी रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं।

40.3% छात्र सार्वजनिक स्थलों पर दूसरों के धुंए का शिकार होते हैं।

36.9% किशोरों ने **10** साल की उम्र से पहले धूम्रपान की शुरुआत कर दी थी। इनमें लड़के **55.1%** हैं और लड़कियां **32.1%**

इस समय **4.2%** किशोर सिगरेट पीते हैं। इनमें लड़कों का अनुपात लड़कियों की तुलना में बहुत ज्यादा है।

इस समय **12%** छात्र सिगरेट के अलावा तंबाकू का उपयोग करते हैं।

'' सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम 2003 '' (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में

लोगों को तंबाकू के नुकसानदेह प्रभावों और दूसरों के धुंए (सेकेंड हैंड स्मोक, एसएचएस) से बचाने के लिए भारत में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (सीओटीपीए) कोटपा 2003 लागू किया गया।

यह कानून सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण के नियमों से संबंधित है। सीओटीपीओ के विशेष प्रावधानों में निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं :

1) धारा 4 : सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध।

2) धारा 5 : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और परोक्ष विज्ञापन, संवर्धन तथा इसके प्रायोजित किए जाने पर प्रतिबंध।

3) धारा 6(ए) : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को करने पर प्रतिबंध।

4) धारा 6(बी): शिक्षा संस्थाओं के 100 गज के घेरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध।

5) धारा 7 : अनिवार्य वैधानिक चेतावनी का मुद्रण (तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर तस्वीर के साथ चेतावनी)।

धारा –4 सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध

सार्वजनिक स्थल की परिभाषा : "सार्वजनिक स्थल का मतलब ऐसी कोई भी जगह है जहां जानता आ–जा सकती है भले ही यह अधिकारपूर्वक हो या नहीं और इसमें ऑडिटोरियम, अस्पताल बिल्डिंग, रेलवे का प्रतीक्षालय, एम्युजमेंट सेंटर (मनोरंजन केंद्र), रेस्त्रां, सार्वजनिक कार्यालय, अदालत की इमारत, शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय, जन सुविधाएं, खुले ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप/स्टैंड, सभी कार्यस्थल, रीफ्रेशमेंट रूम (जलपान कक्ष), बैंक्वेट हॉल, डिस्कोथेक, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब्स, क्लब्स, बार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट लाउंज और ऐसी अन्य जगहें जहां आम जनता आती–जाती है पर इसमें कोई खुली जगह शामिल नहीं है"।

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करने पर जुर्माना :

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 200 रुपए तक का जुर्माना देना होगा (मौके पर जुर्माना)।

नियमों के तहत सार्वजनिक स्थल के प्रबन्धन के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि :

- अपने क्षेत्राधिकार वाली जगह को धूम्रपान मुक्त रखें।
- 60 X 30 सेन्टीमीटर का एक बोर्ड प्रमुखता से लगा हो जिसपर लिखा रहे, धूम्रपान निषेद्ध क्षेत्र – यहाँ धूम्रपान करना अपराध है। यह बोर्ड प्रत्येक प्रवेशद्वार, प्रत्येक मंजिल, प्रत्येक सीढ़ियो सभी लिफटों के प्रवेश द्वार और अन्य सभी प्रवेश स्थानों पर लगा हो।
- उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ हो जिससे शिकायत की जा सकती है।
- धूम्रपान को संभव या सुगम बनाने वाली कोई भी चीज जैसे ऐशट्रे, लाइटर और माचिस की तीली या अन्य चीजें मुहैया नही कराई जाएं।

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्नक I का संदर्भ लें।

धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थलों के लिए वैधानिक साइनेज

उल्लंघन

धारा –5 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध

(1) कोई भी व्यक्ति जो सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण के काम में लगा हो या जिसका उद्देश्य इससे सम्बंधित हो, विज्ञापन नहीं करेगा और प्रचार माध्यम पर नियंत्रण वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का किसी भी माध्यम से विज्ञापन हो । तथा कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के उपयोग का सुझाव दे या उसे बढ़ावा दे।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्थिक लाभ के लिए निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा –

- सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन प्रदर्शित करना, अनुमति देना, उसमें सहायता करना या ऐसा कुछ करना जिससे ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित हो जाएं, पूरी तरह से प्रतिबंधित है ; या
- सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन वाली किसी फिल्म या वीडियो टेप को बेचना, अनुमति देना या बेचने के लिए अधिकृत करना आदि पर प्रतिबन्ध ; या
- जनता को कोई ऐसा पर्चा, हैंडबिल या कागज जिसमें सिगरेट या किसी अन्य तबाकू उत्पाद का विज्ञापन हो बांटने पर प्रतिबन्ध ।
- किसी भी जमीन, बिल्डिंग, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, पोस्ट या संरचना पर या किसी अन्य वाहन पर किसी भी ढंग से सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध ।

किन्तु यह उपधारा सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेट में और उसके विज्ञापन के संबंध में लागू नहीं होगी जिसमें तंबाकू या तंबाकू उत्पाद होगा तथा साथ ही उस गोदाम में या उसके प्रवेश द्वारा पर या दुकान पर भी जहां सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद वितरण या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, यह धारा लागू नहीं होगी ।

(3) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित वस्तुओं के उपयोग या सेवन या खपत को बढ़ावा देने का काम नहीं करेगा या इसके लिए सहमत होगा –

क) सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद ; या

ख) किसी स्पांसरशिप (प्रायोजन), उपहार, पुरस्कार या स्कॉलरशिप या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाने की सहमति के रूप में या इसके बदले में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद का कोई ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम।

I. "परोक्ष प्रचार" को तंबाकू उत्पादों के नाम या ब्रांड का उपयोग अन्य सामान, सेवाओं और आयोजनों के विपणन, प्रचार या विज्ञापन के लिए किया जाना पारिभाषित है ;

नियम जिनका पालन किया जाना है :

II- बिक्री की जगह पर विज्ञापन बोर्ड का आकार और उसकी सामग्री :

किसी वेयरहाउस (भंडार, गोदाम) या दुकान जहां सिगरेट और ऐसा कोई अन्य उत्पाद वितरण अथवा बिक्री के लिए पेश किया जाता है के प्रवेश द्वार पर उपयोग किए जाने वाले बोर्ड का आकार 90 सेंटीमीटर x 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा।

- ऐसा प्रत्येक बोर्ड लागू होने वाली भारतीय भाषा में होगा जिसपर निम्नलिखित चेतावनियों में से कोई एक लिखा होगा और यह बोर्ड के ऊपर की जगह का 25 प्रतिशत क्षेत्र घेरेगा – तंबाकू से कैंसर होता है या तंबाकू जानलेवा है।
- उप–नियम (2) में उल्लिखित बोर्ड पर तंबाकू उत्पाद का सिर्फ ब्रांड नाम या तस्वीर होगा तथा प्रचार के लिए कोई अन्य तस्वीर या संदेश नहीं होगा। (अनुलग्नक–1)

III- **तंबाकू उत्पादों या इसके उपयोग का प्रदर्शन करने वाली फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए प्रतिबंध –**

- तंबाकू उत्पादों या इसका उपयोग दिखाने की जरूरत को वाजिब बताने के लिए मजबूत संपादकीय तर्क
- तंबाकू रोधी हेल्थ स्पॉट और डिसक्लेमर 30 सेकेंड की अवधि का (शुरू में और बीच में)
- ऐसे डिसप्ले की अवधि में तंबाकू रोधी चेतावनी स्थिर संदेश के रूप में
- तंबाकू उत्पादों के ब्रांड के प्रदर्शन या किसी भी रूप में तंबाकू उत्पाद के प्लेसमेंट और प्रदर्शन या फिल्म तथा टेलीविजन प्रोग्राम के प्रोमो अथवा पोस्टर पर प्रतिबंध।

तंबाकू उत्पादों के प्रचार के लिए जुर्माना :

- पहला अपराध के लिए 1000/– रुपए या दो साल की कैद या दोनों
- इसके बाद के अपराध के लिए 5000/– रुपए और 5 साल जेल कैद

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्नक III का संदर्भ लें।

वैधानिक बिक्री के बाद के लिए साइनेज
(खुदरा विक्रेता, विक्रेता आदि)

उल्लंघन

धारा – 6 : 18 साल से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

किसी शिक्षा संस्था से 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबन्ध

शिक्षा संस्थान की परिभाषा : ''शिक्षा संस्था का मतलब है ऐसी जगह/केन्द्र जहां खास मानदण्डों के तहत शैक्षिक निर्देश दिए जाते हैं और इनमें स्कूल, कालेज या उच्च शिक्षा वाले संस्थान शामिल हैं जिनकी मान्यता उच्च अधिकारियों/संस्थाओं द्वारा दी गई हो''

नाबालिक को बिक्री या उनके द्वारा बिक्री पर जुर्माना :

अगर कोई व्यक्ति इस धारा के प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे 200/– रूपए तक का जुर्माना किया जाएगा।

नियम जिनका पालन किया जाना चाहिए ध्रवर्तन अधिकारी की भूमिका :

- विक्रेता को एक बोर्ड (60 सेमी X 30 सेमी) प्रदर्शित करना चाहिए जिसके 50% में लिखित और 50% में तस्वीर वाली चेतावनी हो कि नाबालिक को तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और सजा योग्य अपराध है।

- किसी भी विक्रेता को किसी शिक्षा संस्था के 100 गज के घेरे में (चारदिवारी या बाहरी सीमा या बाहरी दीवार से) तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

- संस्था के प्रमुख को एक बोर्ड लगना होगा जिसपर यह लिखा हो कि संस्थान से 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है।

- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को नियमित रूप से फॉलो अप विजिट करना चाहिए।

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्नक II देखें

वैधानिक साइनेज

18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है।

''धूम्रपान निषिद्ध है'' का संकेत

नाबालिग तंबाकू बेच रहा है

नाबालिग तंबाकू खरीद रहा है

शिक्षा संस्थान के बाहर साइनेज के नमूने

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/– रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम : .....

शिक्षण संस्थान का नाम : .....

धारा –7 सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य संबंधी तस्वीर वाली चेतावनी

कानूनन यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर खास तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी हो।

तस्वीर वाली खास स्वास्थ्य चेतावनी की आवश्यकता

तस्वीर वाली खास स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य बनाया जाना भारत में तंबाकू के उपयोग को कम करने में सफल साबित हुआ है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत में पैकट पर तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी के कारण तंबाकू छोड़ने के विचार बढ़े हैं।

हमारे देश में तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी की स्थिति

- धारा 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसे सिगरेट या तंबाकू के उत्पाद नहीं बनाएगा, ना उसकी आपूर्ति करेगा और ना ही इसका व्यापार या वाणिज्य चलाएगा या आयात करेगा अथवा उसकी आपूर्ति या वितरण करेगा जिसके प्रत्येक पैकेट पर या उसके लेबल पर ऐसी विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं होगी। इसमें नियमानुसार विनिर्दिष्ट तस्वीर वाली चेतावनी भी शामिल है।
- **यह स्वास्थ्य चेतवानी पैकेट के सामने के मुख्य क्षेत्र के न्यूनतम 85 प्रतिशत हिस्से पर होनी चाहिए एवं पैकेट के ऊपरी किनारे के समान्तर होनी चाहिए।**
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 की घोषणा की जा चुकी है और इसमें विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का डिसप्ले तथा रोटेशन के रूप, आकार, तरीका आदि को भी स्पष्ट किया गया है।
- 27 सितंबर 2012, तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी के तीन इमेज विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिन्हें तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर प्रदर्शित किया जाना है (धुआंरहित और धुआं वाले तंबाकू के दोनों रूपों में प्रत्येक के लिए तीन इमेज निश्चित हैं)।
- चेतावनी में एक हेल्थ वार्निंग या स्वास्थ्य चेतावनी जैसे "स्मोकिंग किल्स" और "टोबैको किल्स" शामिल है।

धारा 7 के उल्लंघन के लिए जुर्माना

तंबाकू उत्पादकों पर जुर्माना :

- पहली बार पकड़े जाने पर : दो साल तक कैद या 5000 रुपए तक जुर्माना
- बाद में पकड़े जाने पर : 5 साल तक कैद और 10000 रुपए तक जुर्माना

वितरकों पर जुर्माना :

- पहली बार पकड़े जाने पर : एक साल तक की कैद या 5000 रूपए जुर्माना
- बाद में पकड़े जाने पर : दो साल तक की कैद और 3000 रूपए तक जुर्माना

नियम जिनका पालन किया जाना है / प्रवर्तन अधिकारी की भूमिका

- तस्वीर वाली खास स्वास्थ्य चेतावनी के बिना कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाना चाहिए।

इसके अनुपालन मेंनियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- बाद के उल्लंघनों को और गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
- तस्वीर वाली स्वास्थ्य चेतावनी का आकार और रंगों का विनिर्देशन देखा जाना चाहिए। जो सामग्री कानून के उल्लंघन में सहायक हो उसे जब्त कर लिया जाना चाहिए। कानून लागू कराने वालों को इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही के समर्थन में हमेशा एक गवाह होना चाहिए।

अधिकृत अधिकारी : कृपया अनुलग्नक III देखें

सिगरेट और बीड़ी के पैक के लिए

अनुलग्नक I

अधिकृत अधिकारी : निम्नलिखित व्यक्ति धारा 4 के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना लगाने और उसे एकत्र करने के लिए अधिकृत होंगे

क्रम संख्या	कार्रवाई करने के लिए अधिकृत व्यक्ति	विवरण
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क / आयकर / सीमाशुल्क / बिक्री कर / स्वास्थ्य / परिवहन इंस्पेक्टर और ऊपर के अधिकारी	अपने क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक स्थल
2	स्टेशन मास्टर / सहायक स्टेशन मास्टर / स्टेशन प्रमुख / स्टेशन इंचार्ज	रेलवे और इसके सभी परिसर
3	राज्य / केंद्र सरकार के सभी राजपत्रित या समतुल्य रैंक के अधिकारी या स्वायत्त संगठन / पीएसयू में ऊपर के अधिकारी	सरकारी कार्यालय / परिसर और स्वायत्त संस्थाओं तथा कॉरपोरेशन के कार्यालय
4	निदेशक / चिकित्सा अधीक्षक / अस्पताल प्रशासक	सरकारी और निजी चिकित्सा क्षेत्र
5	पोस्टमास्टर और ऊपर	उनके क्षेत्राधिकार में संबंधित डाकघर
6	संस्थान के प्रमुख / मानव संसाधन प्रबंधक /प्रशासन प्रमुख	निजी कार्यालय / कार्यस्थल
7	कॉलेज / स्कूल / हेडमास्टर / प्राचार्य / शिक्षक	संबंधित शिक्षा संस्था
8	पुस्तकालयाध्यक्ष / सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / पुस्तकालय प्रभारी / पुस्तकालय में अन्य प्रशासनिक कर्मचारी	पुस्तकालय / अध्ययन कक्ष
9	हवाई अड्डा प्रबंधक / भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी / सभी अनुसूचित विमान सेवाओं के अधिकारी	हवाई अड्डा
10	निदेशक जन स्वास्थ्य / निदेशक स्वास्थ्य सेवाए	सभी सार्वजनिक स्थल

11	केंद्र / राज्य सरकार में प्रशासन इंचार्ज	सभी सार्वजनिक स्थल
12	नोडल अधिकारी / जिला और राज्य स्तर पर तंबाकू विरोधी प्रकोष्ठ के केंद्र	सभी सार्वजनिक स्थल
13	पुलिस अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर पुलिस के रैंक से नीचे न हो	उनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
14	राज्य खाद्य व औषधि प्रशासन के अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर पुलिस के रैंक के नीचे से न हो	इनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
15	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (सरपंच / पंचायत सचिव)	इनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
16	जिला कार्यक्रम प्रबंधक / वित्त प्रबंधक – जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य)	इनके क्षेत्राधिकार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र
17	सिविल सर्जन / मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चिकित्सा अधिकारी	स्वास्थ्य संस्थान / डिसपेंसरी
18	रजिस्ट्रार / डिप्टी रजिस्ट्रार / लोक अभियोजक / सरकारी वकील	कोर्ट बिल्डिंग
19	स्कूल निरीक्षक / जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा संस्थान
20	यातायात अधीक्षक / सहायक यातायात अधीक्षक / बस अड्डा अधिकारी / टिकट संग्राहक या कंडक्टर	सार्वजनिक परिवहन
21	टीटीई / मुख्य टिकट निरीक्षक / टिकट संग्राहक / अधिकारी जो टिकट संग्राहक के रैंक से कम के न हो या समतुल्य रैंक पर रेल सुरक्षा बल के सहायक सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम का न हो	रेलवे

अनुलग्नक II

अधिकृत अधिकारी : निम्नलिखित व्यक्ति धारा 6 के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना लगाने और उसे एकत्र करने के लिए अधिकृत होंगे

क्रम संख्या	कार्रवाई के लिए अधिकृत व्यक्ति
1	किसी शिक्षा संस्थान के कुलपति या निदेशक या प्रॉक्टर या प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या इंचार्ज
2	श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्त
3	खाद्य एवं औषधि विभाग के सभी अधिकारी जो राज्य खाद्य व औषधि प्रशासन के सब इंस्पेक्टर रैंक के हो ।
4	शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर रैंक के सभी अधिकारी
5	पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक और इससे ऊपर के सभी पुलिस अधिकारी
6	म्युनिसिपल स्वास्थ्य अधिकारी
7	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (चेयरपर्सन या सरपंच या पंचायत सचिव)
8	जिला कार्यक्रम प्रबंधक या वित्त प्रबंधक – जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य)
9	सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में (पीएचसी) चिकित्सा अधिकारी
10	ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर (बीईई)
11	राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में निदेशक या संयुक्त निदेशक
12	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी

अनुलग्नक III

अधिकृत अधिकारी : धारा 5 और 7 के उल्लंघन के खिलाफ जुर्माना लगाने और वसूलने के लिए निम्नलिखित अधिकारी अधिकृत होंगे।

पदनाम	विभाग
सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सभी अधिकारी जो अधीक्षक के स्तर से ऊपर के हो	राजस्व विभाग के तहत पंजीकृत सभी परिसर
बिक्री कर / स्वास्थ्य / परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर और ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी	राज्य के राजस्व / स्वास्थ्य / परिवहन विभाग
कनिष्ठ श्रम आयुक्त	श्रम विभाग
संयुक्त निदेशक	कार्यालय उद्योग आयुक्त / लघु उद्योग
पुलिस / राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सब इंस्पेक्टर तथा ऊपर के अधिकारी या कोई अन्य सब इंस्पेक्टर पुलिस के समकक्ष का अधिकारी	खाद्य एवं औषधि विभाग तथा गृह विभाग

धारा 4 व 6 के लिए प्रवर्तन प्रकिया

क. **मौके पर जुर्माना** : इस काम के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार में चलान जारी करेगा ओर मौके पर जुर्माना लेना।

अदालत के समक्ष पेनाल्टी : चलान इस निर्देश के साथ जारी करें कि दोषी निश्चित अदालत या कोषागार में किसी दी गयी/ निश्चित तरीख को जुर्माना अदा करेगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। (अगर वह जुर्माना देने में नाकाम रहे तो अपना नाम पता बताएं)

ख. **उल्लंघनकर्ता की नजरबंदी** : अगर उल्लंघनकर्ता जुर्माना देने से मना करता है और अपना नाम/पता देने से भी मना करता/करती है और अधिकृत अधिकारी को यह विश्वास दिलाने में नाकाम रहता/रहती है कि वह उसके खिलाफ जारी किये जा सकने वाले समन या किसी अन्य कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा तथा तदनुसार खुद को प्रस्तुत करेगा/करेगी तो ऐसे व्यक्ति को अधिकृत अधिकारी द्वारा रोका जा सकता है।

ग. इसके बाद अधिकृत व्यक्ति रोके गये व्यक्ति को संबन्धित थाने को सौंप देगा और सीओटीपी कानून 2003 की धारा 21 या 24 के तहत एक शिकायत दर्ज करायेगा।

घ. रोके गये किसी भी व्यक्ति को संबन्धित दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ताकि उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

च. ट्रायल की जगह : धारा 4 और 6 के तहत अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल ऐसी जगह पर होगी जहाँ वह हो या जिसके बारे में राज्य सरकार सूचित करेगी या फिर ऐसी किसी भी जगह पर जहाँ उस समय उसके खिलाफ किसी कानून के तहत ट्रायल चल सकता है।

छ. धारा 4 और 6 के तहत किये गये अपराध का अभियोजन शुरू करने से पहले या बाद में केन्द्र या राज्य सरकार के अधिकृत अफसर द्वारा एक राशि के लिए कंपाउंड किया जा सकता है जो 200 रूपये से ज्यादा नहीं हो सकती है।

ज. अगर अपराध को कंपाउंडर कर दिया गया है तो अपराधी अगर हिरासत में है तो मुक्त कर दिया जायेगा और इस अपराध के लिए उसके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

झ. अपराध का संक्षिप्त विवरण : इस कानून की धारा 4 और 6 के तहत किये गये सभी अपराध पर संक्षिप्त विवरण उपलब्ध होगा और यह अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत निश्चित प्रक्रिया के अनुपालन में होगा।

धारा 5 व 7 के लिए प्रवर्तन प्रक्रिया

क) अधिकृत अधिकारी अपने स्तर पर या धारा 5 अथवा 7 के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर कार्यवाही शुरू करेंगे और इसके लिए छापा मारने वाला एक दल बनाएंगे जो तलाशी लेने और जब्ती की कार्रवाई करेगी (धारा 12 व 13 देखें)।

ख) छापा मारने वाले दल में अधिकारी खुद, दो स्वतंत्र गवाह तथा एक पुलिस अधिकारी भी होंगे जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से कम के न हो (वैकल्पिक) ।

ग) उल्लंघन की आशंका के कारण अधिकारी छापा मारने वाले दल के साथ परिसर में प्रवेश करेंगे तथा परिसर की तलाशी लेंगे।

घ) अगर अधिकारी के पास यह मानने का प्रमुख कारण मौजूद है कि अपराध हुआ होगा तो अधिकारी आपत्तिजनक उत्पादों (जैसे विज्ञापन सामग्री, तंबाकू उत्पाद, पैकेट आदि) को जब्त कर लेगा।

च) अधिकारी को परिसर के इंचार्ज / स्वामी / दखलकार को सीजर मेमो / रसीद देना होगा।

छ) दो गवाहों की मौजूदगी में एक पंचनामा बनाया जाएगा जिसमें जगह के साथ जब्त किए गए सामान के बारे में बताया जाएगा। (अनुलग्नक 1)

ज) जब्त की गई प्रचार या विज्ञापन सामग्री / पैकेट / अन्य वस्तु को मुहरबंद स्थिति में रखा जाएगा और मुहर (सील) दो गवाहों की उपस्थिति में लगाई जाएगी।

झ) जब्त की गई विज्ञापन सामग्री / पैकेट / वस्तुओं को जब्त करने वाले अधिकारी जब्ती की तारीख से 90 दिनों से ज्यादा अवधि तक अपने पास नहीं रखेंगे बशर्ते इसके लिए जिस जिला जज या स्थानीय सीमा वाले जज के क्षेत्राधिकार में जब्ती हुई हो, की मंजूरी प्राप्त कर ली जाए। (धारा 14 देखें)।

ट) इसके बाद अधिकारी स्थानीय सीमा में जिसके मूल क्षेत्राधिकार में सामग्री जब्त हुई हो, के प्रमुख सिविल कोर्ट के जिला जज के समक्ष जब्त सामग्री के अधिहरण की कार्रवाई शुरू करेंगे।

ठ) सीओटीपीए, 2003 की धारा 7 के तहत अधिहरण की स्थिति में इस संबंध में सुनवाई कर रही अदालत, आदेश में बताई गई शर्तों के अनुसार इसके स्वामी को जब्ती, खर्च के बदले भुगतान करने का विकल्प दे सकती है और यह अधिहरित वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगा। अदालत द्वारा आदेशित लागत के भुगतान पर जब्त पैकेट संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे जिससे जब्त किए गए थे ।

ड) अधिहरण या लागत के प्रत्यक्ष भुगतान से संबंधित कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेट के स्वामी या दखलकार को सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के पैकेट की जब्ती की तारीख से 90 दिनों के अंदर लिखित सूचना न दी गई हो तथा जिसमें उसे बताया गया हो कि किस आधार पर ऐसे पैकेट के अधिहरण का प्रस्ताव है । इसके खिलाफ उसे अपना पक्ष लिखित में रखने के लिए वाजिब मौका दिया गया हो । इसके लिए उपयुक्त समय भी दिया गया हो जो इस नोटिस में उल्लिखित हो सकता है। इसके साथ ही अगर वह चाहे तो उसे निजी तौर पर या प्रतिनिधि के जरिए अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाना चाहिए। (धारा 18 देखें)।

ढ) चूंकि सिविल क्षेत्राधिकार द्वारा अधिहरण या भुगतान का आदेश प्रभावित व्यक्ति को किसी तरह की सजा दिए जाने से नहीं रोकता है इसलिए संबंधित व्यक्ति सीओटीपीए के प्रावधानों और अन्य के तहत कार्रवाई के योग्य है। इसलिए, छापा मारने वाला अधिकारी संबंधित स्थान / परिसर जिस थाने के क्षेत्राधिकार में आता है, में आपराधिक शिकायत दर्ज कराएगा। अधिकारी ही इस शिकायत में शिकायतकर्ता होगा। पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

त) इसके बाद अधिकारी सीओपीटीए की धारा 20 या 22 के तहत महानगरीय दंडाधिकारी के समक्ष शिकायत दायर करेगा।

थ) अधिकारी इस बात का ख्याल रखेगा कि सीओपीटीए की धारा 5 और 7, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन व नियमन का निषेधन) नियम 2004 और पैकिंग एंड लेबलिंग नियम 2008 के तहत किया गया अपराध प्रशम्य नहीं है।

द) अधिकृत अधिकारियों को उल्लंघन के प्रत्येक मामले को दूसरे और बाद के अपराध के रूप में रिकॉर्ड करने और कार्रवाई करने की आवश्यकता है और सीओटीपीए के तहत इसमें ज्यादा सजा है।

तालिका

धारा	जुर्माना	अधिकृत व्यक्ति / प्रक्रिया
धारा 4 सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का निषेध	200/– रुपए (प्रशम्य) (धारा 21)	सब–इंस्पेक्टर (उपनिरीक्षक) या ऊपर या कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति मौके पर जुर्माना या अदालत के समक्ष पेनाल्टी। अपराधी अगर जुर्माना देने से मना करता है तो गिरफ्तारी। अपराध प्रक्रिया, 1973 (धारा 25 और 28) के तहत ट्रायल
धारा 5 तंबाकू उत्पादों के प्रचार पर प्रतिबंध	पहला अपराध 1000/– रुपए या 2 साल कैद बाद के अपराध 5000/– रुपए और 5 साल कैद (अप्रशम्य) (धारा 22)	उप निरीक्षक या ऊपर छापा मारना, तलाशी और तंबाकू उत्पादों की विज्ञापन सामग्री जब्त करना। (धारा 12 व 13) दो गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा बनाया जाए, शिकायत दर्ज की जाए और जिला अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाये (धारा 23)
धारा 6 अठारह साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध । किसी भी शिक्षा संस्था के 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध	200/–रुपए (प्रशम्य) (धारा 24)	सब इंस्पेक्टर (उपनिरीक्षक) या ऊपर या कानून के तहत अधिकृत व्यक्ति मौके पर जुर्माना ले सकता है या अदालत के समक्ष पेनाल्टी। अगर अपराधी जुर्माना देने से मना करे तो गिरफ्तारी। अपराध का ट्रायल अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (की धारा 25 और 28) के तहत।
धारा 7 तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेट पर तस्वीर के साथ स्वास्थ्य की चेतावनी उपलब्ध जगह के 85 प्रतिशत में (आगे और पीछे)	उत्पादक और निर्माता के मामले में : पहला अपराध 5000/– रुपए या 2 साल कैद या दोनों बाद के अपराध 10000/– रुपए और 5 साल कैद। विक्रेता और वितरक के मामले में : पहला अपराध 1000/– रुपए या 1 साल कैद या दोनो बाद के अपराध 3000/– रुपए और 2 साल (अशमनीय) (धारा 20)	सब इंस्पेक्टर या ऊपर के अधिकारी छापा मार सकते हैं तलाशी ले सकते हैं और ऐसे तंबाकू उत्पाद व पैकेट जब्त कर सकते हैं जिनपर स्वास्थ्य चेतावनी न हो (धारा 12–13)। दो गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा बनाया जायेगा । शिकायत दर्ज कराया जायेगा । जिला अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । जब्त सामग्री को नष्ट कर दिया जायेगा । (धारा 23)

राज्य स्तरीय आदेश

पत्रांक 15992

संख्या–786/तीन–18–06(9)/18

प्रेषक,

एसटी (कैम्प)

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

SP/CDO/ADM(F)

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर उ0प्र0।
16-10-18

सामान्य प्रशासन विभाग

लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय– प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की 150वीं जयन्ती दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से मनायी जा रही है। गाँधी जी के नैतिक मूल्यों को राष्ट्रीय जीवन में चरितार्थ करने के उद्देश्य से पूरे भारत में गाँधी कार्यक्रमो पर आधारित विभिन्न प्रकार के अभियान चलाये जा रहे है। गाँधी जी किसी भी प्रकार के नशा के विरुद्ध थे और पूर्ण नशा उन्मूलन के हिमायती थे। तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जिसके दुष्परिणाम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य का निरन्तर ह्रास होता है।

2. तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादो के विज्ञापन एवं व्यापार–विपणन, आपूर्ति एवं वितरण को प्रतिबन्धित करने के लिए वर्ष 2003 में एक अधिनियम जारी किया गया जो कोटपा–2003 के नाम से प्रचलित है।

3. "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का अधिनियम) अधिनियम–2003" (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन हेतु "समुचित प्राधिकारी" अधिकृत किया गया है।

4. उपरोक्त अधिनियम के अनुपालन में गृह विभाग के शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर, 2017 द्वारा समुचित निर्देश समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त

संख्या:–1572
एसटी (एडीएम)
CMO/Nazir sadar
को उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करें।

अपर जिलाधिकारी
(वित्त एवं राजस्व)
अम्बेडकर नगर

अधिनियम के अनुश्रवण में प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग के पत्रांक–रा0तम्बाकू प्रकोष्ठ/2015–16/102, दिनांक 02 जुलाई, 2015 (प्रति संलग्न) एवं पत्रांक–रा0तम्बाकू प्रकोष्ठ/2017–18/742, दिनांक 27 जून,2017 (प्रति संलग्न) द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों यथा मसाला/गुटखा/तम्बाकू/धूम्रपान इत्यादि का प्रयोग निषिद्ध करते हुए शासकीय कार्यालयों/विद्यालयों/अस्पतालो के परिसरों में अधिकारियों/कर्मचारियों/आगन्तुकों के तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है एवं दण्डात्मक प्राविधान किये गये है।

5. विगत कई वर्षो से केन्द्र एवं राज्य सरकारो द्वारा तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को प्रतिबन्धित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य को समुन्नत किये जाने हेतु अधिनियम/आदेशो द्वारा प्रयास किये गये हैं परन्तु इनका प्रभावी कियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

6. अतः सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों यथा–मसाला/गुटखा/तम्बाकू/धूम्रपान इत्यादि के प्रयोग को निषिद्ध करने से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत आदेशों का पूर्ण कियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध रूप से कड़ाई से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। उक्त के अन्तर्गत पूर्व के अधिनियम/आदेशों का अनुपालन कराते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गॉधी जी की 150वीं जयन्ती दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से मनाये जाने के दृष्टिगत उक्त दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों एवं स्थानीय कार्यालायों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या–196(1)/तीन–18–06(9)/18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहबाद।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन करने हेतु प्रभावी समन्वय एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

ई–मेल / फैक्स
संख्या–2035 / 2020–सीएक्स–3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 05 सितम्बर 2020

विषय:– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर पी0आई0एल0 नम्बर 716 / 2020 सुओ–मोटो बनाम स्टेट ऑफ यूपी में दिनांक 27.08.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश के समस्त बार, रेस्टोरेन्ट व कैफे में हुक्का सेवा को तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सुश्री मीनाक्षी सिंह, स्टेट लॉ ऑफिसर, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र दिनांक 02.09.2020 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित उक्त पी0आई0एल0 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 के अनुपालन में कोविड–19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु अग्रिम आदेशों तक समस्त बार, रेस्टोरेन्ट व कैफे में हुक्का सेवा को तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि ससमय मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा सके।

संलग्नक:– यथोक्त

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश (छायाप्रति संलग्न) के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

फैक्स / महत्वपूर्ण
संख्या - 95 / छः-पु0-15/2022

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनाँक 02 मार्च, 2022

गृह-अनुभाग(पुलिस)15

विषयः- Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" के सम्बन्ध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये Joint Action Plan on "Prevention of drugs and substance abuse and illicit trafficking" " एक युद्ध नशे के विरुद्ध " के अन्तर्गत देश में बच्चों में मादक द्रव्यों के सेवन के विरुद्ध विभिन्न विभागों, संस्थाओं, एजेंसियों, प्राधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ एवं आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में कार्य किये जाने की आवश्यकता पायी गई है। बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने, विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं (यथा- कोचिंग सेन्टर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, छात्रावास, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र और बाल उद्यान आदि स्थानों) पर मादक पदार्थों, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री को रोके जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तैयार की गई उक्त संयुक्त कार्ययोजना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट के लिंक https :// ncpcr.gov.in/ showfile.php? lang=1&level=1&& sublinkid= 2122&lid=2022 पर उपलब्ध है।

2. अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब / मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता या दिलवाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे से शराब/ड्रग्स/तम्बाकू की सप्लाई करवाना अथवा नशीला शराब या नशीले पदार्थ / मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा दुर्व्यापार में बच्चे का उपयोग करने की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा- 77 एवं 78 के अन्तर्गत प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए साथ ही सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 की धारा- 6 में की गई व्यवस्था के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से और किसी शैक्षणिक संस्था की 100 गज की परिधि के भीतर किसी स्थान पर सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिषेध है। अतः एक विशेष अभियान चलाकर शैक्षणिक संस्थाओं की 100 गज की परिधि के भीतर सम्बन्धित kiosk व दुकानों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

फैक्स / ई–मेल
संख्या– 397 / 6–पु0–15–2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2–पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
4–समस्त पुलिस महानिरीक्षक / उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5–समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
6–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7–पुलिस महानिदेशक(प्रशिक्षण) उ0प्र0।

गृह(पुलिस)अनुभाग–15 लखनऊः दिनॉक 14 नवम्बर, 2017

विषयः–''सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम–2003,'' (सी0ओ0टी0 पी0ए0–2003) के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय पर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तगण को प्रेषित एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ व श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को पृष्ठांकित शासन के पत्र संख्या–682 / 6–पु0–15–2015 दिनांक 7–10–2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 7–10–2015 द्वारा उ0प्र0 में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों को हत्तोसाहित करने के लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम–2003 के कतिपय प्राविधानो को मण्डलायुक्त के नेतृत्व में लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है, तथा सी0ओ0टी0पी0ए0–अधिनियम 2003 के कियान्वयन के सम्बन्ध में मण्डलायुक्तगण को स्वयं नेतृत्व प्रदान करते हुए मण्डलीय समीक्षा बैठक में सम्बन्धित अधिकारियों को इस विषय के बारे में संवेदनशील बनाये जाने तथा मण्डल स्तर पर प्रोबेशनरी आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 / आई0पी0एस0 / पी0पी0एस0 अधिकारियो को इस कार्यक्रम में अपने योगदान हेतु अवसर प्रदान किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

3– उक्त आदेशो के कम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादो को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम–2003 के प्रभावी कियान्वयन / प्रर्वतन हेतु निम्न बिन्दुओ पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

(1) पुलिस विभाग में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की समीक्षा, अनुश्रवण, रिपोर्टिंग एवं प्रवर्तन हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी को नामित करते हुये इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(2) शासन के पत्र संख्या–682/6–पु0–15–2015 दिनांक 07, अक्टूबर, 2015 के अनुपालन में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के प्राविधानो के कियान्वयन की नियमित मासिक समीक्षा मण्डलायुक्त, उ0प्र0 के स्तर पर की जाय।

(3) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या–डीजी–सात–एस–3(249)/2007, दिनांक–23, दिसम्बर, 2014 द्वारा जारी निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जनपदो से प्रतिमाह अनुपालन आख्या प्राप्त कर राज्य स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा इसका अनुश्रवण भी किया जाय।

4– पुलिस विभाग की मासिक क्राईम रिपोर्ट में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को सम्मिलित करते हुये मासिक क्राईम रिव्यू बैठक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को ऐजेण्डा के रूप में सम्मिलित किया जाए, तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्या–डीजी–सात–एस–3(249)/2007, दिनांक–23, दिसम्बर, 2014 के अनुपालन में समयान्तर्गत आख्या उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

5– जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्यरत है, के सहयोग से जनपद के समस्त थाना प्रभारी को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का कड़ाई से अनुपालन किये जाने एवं अधिनियम का अनुश्रवण एवं प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने हेंतु जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से लगभग 2 घण्टे 30 मिनट का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण (orientation) कार्यक्रम किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यक्रम मे आवश्यकतानुसार राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं वोलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया का तकनीकी सहयोग/परामर्श प्राप्त किया जा सकता है, जिसका दूरभाष एवं ई–मेल नं0 निम्नवत् हैः–

(1) nodal.ntcp.up@gmail.com ,दूरभाष नं0 –05222629705

(2) healthpromotion@vhai.org , दूरभाष नं0–01147004300

6– जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ का सहयोग लेते हुये पुलिस विभाग के अन्तर्गत सभी थानों/चौकियों को तम्बाकू–मुक्त घोषित करवाते हुये वहॉ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा–4 के अनुसार साइनेज लगवाया जाना सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस थाना/चौकी परिसर में आगन्तुकों/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग नही किया जाए।

7– सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे जनपद स्तरीय प्रवर्तन दलों का गठन किया जाय, जिसके सदस्य निम्नवत होंगेः–

(1) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (3) नगर स्वास्थ्य अधिकारी, (4) जिला विद्यालय निरीक्षक, (5) बेसिक शिक्षा अधिकारी, (6) मुख्य खाद्य निरीक्षक।

8– पुलिस प्रशिक्षण के समस्त पाठ्यकमों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 को सम्मिलित किया जाय व पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों पर सी0ओ0टी0पी0ए0, 2003 का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

9– भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में किये गये संशोधन के कम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या–रा0तम्बाकू प्रकोष्ठ/2017–18/763, दिनांक–11/07/2017 (छायाप्रति संलग्न) का कडाई से अनुपालन कराया जाय, यथा–धूम्रपान प्रतिबन्धित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सेवा नही प्रदान की जानी चाहिए यथा–हुक्का बार, खाने–पीने आदि की सुविधाओ पर प्रतिबन्ध।

10– Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा–18 (सी), Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 की धारा–77, Motor Vehicle Act, 1988 की धारा–95 (एच), Criminal Procedure Code की धारा–144, Indian Penal Code, 1860 की धारा–268, धारा–269 एवं **धारा–278 का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

11– Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा–18 (सी), के अनुसार प्रदेश में ई–सिगरेट पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में यथा आवश्यकता पुलिस विभाग द्वारा सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

12– शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–1958/पॉच–7–2015–रिट–45/2013, दिनांक–06, अक्टूबर, 2015 द्वारा विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना उ0प्र0 राज्य में खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन एवं प्रवर्तन किये जाने हेतु आवश्यक पुलिस सहयोग प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाय।

13– होटल एवं रेस्टोरेन्ट में स्मोकिंग जोन के लिये सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 के नियम एवं उपनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

14– विषय की महत्ता के दृष्टिगत (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम–2003 के प्राविधानो के प्रभावी कियान्वयन हेतु पूर्व के निर्गत शासनादेश दिनांक 7–10–2015 के अनुक्रम में यह आवश्यक है कि विभागीय स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाय। पुलिस महानिदेशालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को राज्य स्तर का नोडल अधिकारी नामित करते हुए अधिनियम के प्राविधानो के कियान्वयन के संबंध में कृत कार्यवाही की नियमित मासिक समीक्षा करते हुए शासन को अपनी विश्लेषणात्मक आख्या प्रत्येक माह के 15 तारीख तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाय ताकि गृह विभाग के स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा की जा सकें। पुलिस महानिदेशक द्वारा मासिक समीक्षा की विश्लेषणात्मक आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 के ई–मेल nodal.ntcp.up@gmail.com एवं

गृह(पुलिस)अनुभाग–15 उ0प्र0शासन के ई–मेल–homepolice015@gmail.com पर भी उपलब्ध करायी जाय।

''सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम–2003,'' (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के अन्तर्गत महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शक्तियो का प्रयोग एवं कर्तव्यो का पालन हेतु ''समुचित प्राधिकारी'' अधिकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर अधिनियम के प्राविधानो के कियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है जिसका जिले के जिलाधिकारी के साथ समुचित समन्वय करते हुए उपयोग किया जा सकता है। पुलिस विभाग के स्तर पर यह भी अपेक्षित है कि अधिनियम के प्राविधानो के कियान्वयन हेतु शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन, काउन्सिलिग की व्यवस्था आदि पर विशेष बल दिया जाय ताकि अधिनियम के प्राविधानो का कियान्वयन मात्र दण्डात्मक हो करके न रह जाय। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो COTPA के नोडल अधिकारी है, (तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ इनके अधीन कार्यरत है) उनसे समन्वय स्थापित कर आवश्यक धनराशि प्राप्त की जा सकती है।

कृपया उपयुर्क्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए शासन को कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 विशाल कम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
3– श्री सतीश कुमार त्रिपाठी, राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4– सहायक प्रोग्रामर, गृह नियन्त्रण कक्ष, उ0प्र0शासन।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
उप सचिव।

तत्काल निर्गत/अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ 226001

पत्रांक डीजी-सात-एस-3-(249)/2009 भाग 2 दिनांक दिसम्बर 08, 2017

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय-**सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमयन) अधिनियम-2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में।**

कृपया अन्य के साथ पुलिस **महानिदेशक**, उ0प्र0 को सम्बोधित उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-397/6-पु0-15-2017 **दिनांकित-14-11-2017** की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2 उ0प्र0 शासन के उपरोक्त पत्र **दिनांकित**-14-11-2017 के **प्रस्तर-14** में इंगित किया गया है कि विषय की महत्ता के दृष्टिगत **(सी0ओ0टी0पी0ए0)** अधिनियम-2003 के प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन हेतु पूर्व के निर्गत शासनादेश दिनांक-07-10-2015 के अनुक्रम में यह आवश्यक है कि विभागीय स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जाय। पुलिस महानिदेशालय स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को राज्य स्तर का नोडल अधिकारी नामित करते हुये अधिनियम के प्राविधानों के कियान्वयन के संबंध में कृत कार्यवाही की नियमित मासिक समीक्षा करते हुये शासन को अपनी विश्लेषणात्मक आख्या प्रत्येक माह के **15 तारीख तक** आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाये ताकि गृह विभाग के स्तर पर भी इसकी नियमित **समीक्षा** की जा सके। पुलिस महानिदेशक द्वारा मासिक समीक्षा की विश्लेषणात्मक आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 के ई-मेल nodal.ntcp.up@gmail.com एवं गृह(पुलिस) अनुभाग-15, उ0प्र0 शासन के ई-मेल-homepolice015@gmail.com पर भी उपलब्ध करायी जाये।

3 उपरोक्त के क्रम मे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा COTPA-2003 के प्रभावी कियान्वयन के लिये (NDPS Act-1985 की भाँति) **पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी राज्य नारकोटिक्स सेल, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को राज्य स्तरीय "नोडल अधिकारी" नामित किया गया है।**

4 अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन, लखनऊ के उपरोक्त पत्र दिनांकित-14-11-2017 की अपेक्षानुसार (सी0ओ0टी0पी0ए0) अधिनियम-2003 के प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में कृत कार्यवाही की नियमित मासिक समीक्षा करते हुये विश्लेषणात्मक आख्या महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 के ई-मेल nodal.ntcp.up @gmail.com एवं गृह(पुलिस) अनुभाग-15, उ0प्र0 शासन के ई-मेल-homepolice015 @gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए एक प्रति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अवलोकनार्थ **इस मुख्यालय को भी उपलब्ध** कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध)
उ0प्र0।

प्रतिलिपि-संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6.समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।
7.पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।

संलग्नक-यथोपरि।

4454
28/01/22

महत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 9438 लखनऊ / दिनांक- 28-01-2022

विषय:–कोविड–19 महामारी के संक्रमण के रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.04.2021 एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन में सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालयों मे धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8375, दिनांक 13.04.2020 पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2020–21 / 8478, दिनांक 29.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान एवं पान–मसाला अथवा गुटखा खाकर इधर–उधर थूंकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जैसा कि आप अवगत है कि धूम्रपान, मसाला, गुटखा और अन्य तबाकू उत्पाद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते है तथा थूकने को प्रेरित करते है, जिससे कोविड–19 संक्रमण के फैलने का खतरा बढता है।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश–381 / 2020 / सी0एक्स0–3, दिनांक 03 मई, 2020 एवं शासनादेश–786 / तीन–18–06(9)18 दिनाक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानो एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं कोविड–19 के संक्रमण के फैलने के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानो पर पान–मसाला अथवा गुटखा खाकर इधर–उधर थूंकने को प्रतिबन्धित किया जा चुका है तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानो में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–40–3 / 2020–डी0एम0–1(ए0), दिनांक 29.04.2021 एवं उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, पत्र संख्या–715 / पांच–5–2021, दिनाक 20 अप्रैल, 2021 द्वारा जारी अधिसूचना मे संशोधन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः कोरोना महामारी (कोविड–19 संक्रमण) को ध्यान में रखते हुए सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने जनपद मे सार्वजनिक स्थानो, समस्त शासकीय प्रतिष्ठानो के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानो एवं स्थानीय कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग अथवा पान–मसाला, गुटखा इत्यादि खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांक– राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / लखनऊ / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई–मेल द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वरीयताक्रम सहायक, प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

सेवा में,

समस्त, जिला पंचायतराज अधिकारी
उ0प्र0।

पत्रांकः 5/1203/34/2019/कोबिड–19, लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर, 2020

विषय– कोबिड–19 महामारी की रोकथाम हेतु विभाग से सम्बन्धित कार्यालयों, आयोजित हो रही बैठकों आदि में खैनी, गुटका, मशाला एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग न करने एवं जगह–जगह थूकने की आदत में सुधार हेतु सामुदायिक जन–जागरुकता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, लखनऊ के पत्र संख्या 140 दिनांक 07 सितम्बर 2020(संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वैश्विक महामारी कोबिड–19 की रोकथाम एवं "टोबैको फ्री जेनरेशन" की परिकल्पना को साकार करने के दृष्टिगत यथावश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उपर्युक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विभागीय क्रिया कलापों में "टोबैको फ्री जेनरेशन" की परिकल्पना के दृष्टिगत, ग्राम पंचायतों के स्तर पर आयोजित होने वाली समस्त सामुदायिक जन–जागरुकता की गतिविधियों में नियमानुसार सम्मिलित करते हुये यथावश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(के0एस0 अवस्थी)
नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) उ0प्र0

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
3. श्री विवेक अवस्थी, अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, लखनऊ उ0प्र0।

17.09.20
नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक /बा0वि0परि0/विविध/2017–18, दिनांक 28 फरवरी 2018

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
जिला कार्यक्रम अधिकारी उ0प्र0।

विषय :–सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकड़ो के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग–12 लाख लोगो की मृत्यु तम्बाकू जनित रोगो जैसे कैंसर तथा हृदय रोग आदि से होती है। धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कैंसर तथा अन्य गम्भीर बीमारियों का प्रमुख कारण है। इसके सेवन से लोग आकस्मिक मृत्यु तथा अपगंता के शिकार भी हो जाते है। जनसमुदाय में इस भयावह जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता हेतु प्रचार/प्रसार अति आवश्यक है, जिससे बचाव सम्भव हो सके।

अतः जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविकाये आगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण/ भ्रमण के समय योजना के लाभर्थियों, जनसमुदाय, अवयस्कों एवं कम उम्र के बच्चों तथा उनके अभिभावको को तम्बाकू सिगरेट जैसे हानिकारक लत से बचाने व तम्बाकू उत्पाद के उपयोग को रोकने हेतु जागरूक सुनिश्चित करे।

(शत्रुघ्न सिंह)
अपर निदेशक(प्रशा0)

पृष्ठांकन संख्या– C-3281 /तददिनांक। 5/459, विराम खण्ड गोमती नगर, लखनऊ
प्रतिलिपिः– श्री विवेक अवस्थी, अधिशासी यू0पी0वी0एच0ए0, को, उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, रा० तं० नि० का० स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

27-2-18

(शत्रुघ्न सिंह)
अपर निदेशक(प्रशा0)

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–4 / 202 / 2018–4 / लूज / 2017 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2018

विषय : सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री विवेक अवस्थी, अधिशासी निदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हैल्थ, एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–यूपीवीएचए / टी.सी.पी. / 2018, दिनांक 16 फरवरी, 2018 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु तम्बाकू जनित रोगों जैसे कैंसर तथा हृदय रोग आदि से होती हैं। धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कैंसर तथा अन्य गम्भीर बीमारियों का प्रमुख कारण है। इसके सेवन से लोग आकस्मिक मृत्यु तथा अपंगता के शिकार भी हो जाते है, जिसके बचाव हेतु जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों को उक्त योजना से लाभान्वित करने के लिए जनसमुदाय में जागरूकता लाने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री विवेक अवस्थी, अधिशासी निदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हैल्थ, एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ के पत्र संख्या–यूपीवीएचए / टी.सी.पी. / 2018, दिनांक 16 फरवरी, 2018 संलग्नकर निर्देशित किया जाता है कि सिगरेट एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अनुसार तम्बाकू सिगरेट जैसे हानिकारक लत से जनसमुदाय को बचाने व तम्बाकू उत्पाद के उपयोग को रोकने के लिए जागरूक करने हेतु विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिशासी निदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हेल्थ एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ की सहभागिता सुनिश्चित करायें।

संलग्नक–उक्तानुसार।

भवदीय,

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

प्रेषित
11-4-2018

संख्या–4 / 202 / 1 / 2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –श्री विवेक अवस्थी, अधिशासीनिदेशक, उ.प्र. वॉलन्टरी हैल्थ, एसोसिएशन, गोमती नगर, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–यूपीवीएचए / टी.सी.पी. / 2018, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के क्रम में सूचनार्थ।

2- राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम 3050।

(आकाश दीप)
निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

तम्बाकू वेन्डर लाइसेन्सिंग सम्बन्धी आदेश

SPEED POST

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NIRMAN BHAVAN, NEW DELHI - 110011

ARUN KUMAR JHA
Economic Adviser
Tel. : 011-23061780
E-mail : arunkjha@nic.in

D.O.No. P-16012/14 /2017-TC
Dated, 21st September, 2017

The Central Government has enacted the Cigarettes and other Tobacco products (Prohibition of Advertisement and Regulations of Trade and Commerce Production, Supply and Distribution) Act, 2003(COTPA), to discourage the use of tobacco, with emphasis on protection of children and young people from being addicted to the use of tobacco, with a view to achieve improvement of public health in general as enshrined in Article 47 of the Constitution.

2. The Central Government has also enacted the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, that makes giving or causing to be given, to any child any tobacco products punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years. Further the Food Safety and Standards Act, 2006 (FSS Act, 2006) ensures availability of safe and wholesome food for human consumption and inter-alia prohibits using of tobacco and nicotine as ingredients in any food products.

3. COTPA, 2003 specifically prohibits smoking in all public places, prohibition of direct and indirect advertisement, promotion and sponsorship of cigarettes and other tobacco products, prohibition of sale of cigarettes and other tobacco products to minors and within 100 yards of any educational institution and display of health warning including pictorial warning on ill effects of tobacco use on the packages of all tobacco products.

4. In this regard, it is felt that the regulation of tobacco products can be made more effective with the development of a mechanism to provide permission/authorization through Municipal Authority to the retails shops who are selling tobacco products. Further, it would also be appropriate to make a condition/provision in the authorization that the shops authorized for selling tobacco products, cannot sell any non - tobacco products such as toffees, candies, chips, biscuits, soft drinks etc., which are essentially meant for non-user, especially children.

Contd.

5. I would be grateful if you could kindly consider developing a mechanism to provide permission/authorization through Municipal Authority/Local Authority to the retails shops who are selling tobacco products with a condition/provision in the authorization that the shops authorized for selling tobacco products, cannot sell any non - tobacco products such as toffees, candies, chips, biscuits, soft drinks etc., which are essentially meant for children. We believe that such as initiative will prove to be beneficial in achieving the objective of preventing the children / non-user from the exposure to tobacco products. We would be happy to extend any technical support which you may need.

With regards.

Yours sincerely,

(Arun Kumar Jha)

To,

Shri R.P. Bhatnagar,
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lal Bahadur Shastri Bhawan,
UP Sachivalaya, Lucknow - 226001.

FTS/- 3107243

महत्वपूर्ण

संख्या–1080 /नौ–9–21–121ज/20

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2021**

विषय–तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंसिंग प्रणाली लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के प्राविधानों के दृष्टिगत नगर निगम सीमा क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्तावित उपविधि जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता हित में है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन उपविधियों को नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत लागू करने हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, निकाय बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–543 खण्ड–क के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को दिनांक–31.07.2021 तक अवगत कराने की भी अपेक्षा की गई है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में कार्य कर रहे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वयं सेवी संगठन। (द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

GO-S

नगर निगम ———

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्1950) की धारा 437, धारा 438 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), धारा 452 और धारा 541 के खण्ड (20), (41) और (49) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर निगम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA) के प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू विक्रेताओं के लिए तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि 2021 को बनाने का प्रस्ताव करता है, उसका निम्नलिखित प्रारूप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 543 के खण्ड (क) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, नगर आयुक्त, नगर निगम——— को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जायेंगे। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर, जो इस नोटिस के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होगें, विचार किया जायेगा।

नगर निगम——— तम्बाकू उत्पाद लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु उपविधि 2021

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :–

(1) यह उपविधि नगर निगम——— (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाईसेन्स शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि 2021 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम ——— के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग के लिए योग्यता :–

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) आवदेनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

(3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, ——— से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक होगा।

(4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए।

(5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।

(6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती हैं।

3. वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क :–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेण्डिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रू0 200.00, स्थाई दुकानों हेतु रू0 1000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिए रू0 5000.00 होगा।

(2) एक वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिए रू0 5000.00, फुटकर स्थाई विक्रेताओं के लिए रू0 200.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थाई दुकानों हेतु रू0 100.00 होगा।

(3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

4. **तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन** :– पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा:–

(1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पाद की दुकान संचालित नहीं की जाएगी।

(2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा 5 के अंतर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।

(3) तम्बाकू विक्रेता को कोटपा की धारा 6 अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिग द्वारा बिक्री की जाएगी।

(4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित होगी।

5. **नियम एवं शर्तें** :–

(1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा। तत्पश्चात लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेगें।

(2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।

(3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिया गया लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा।

(4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिए ही मान्य होगा।

(5) किन्ही परिस्थितियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा–निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।

(6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे जाएगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम ——— द्वारा निलंबन कार्यवाही की जाएगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दिशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जाएगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल मॉल, थोक बाज़ार, बिग बाज़ार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकानें भी सम्मिलित होगी, जो गुमटी लगाते हैं। उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रू0 2000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार रू0 5000.00 व सामग्री जब्त, तीसरी बार रू0 5000.00, सामग्री जब्त व प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक विक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

6 **पंजीकरण प्रक्रिया** :–

(1) नगर निगम ——— में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बंधन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के संबंध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम ——— के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएगें।

(5) प्रमाणपत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम ——— द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8. **नामित अधिकारी** :– नगर निगम ——— में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञापित लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनुज्ञापित लाईसेन्स जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

9 **वेंडर लाइसेंस लागू करने की समयावधि** :– पंजीकरण प्रणाली नगर निगम ——— के माननीय सदन में अनुमोदित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

दिनांकः

नगर आयुक्त,

नगर निगम, ————

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, फिरोजाबाद व मथुरा।

पत्रांक : राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/ 8319 लखनऊ, दिनांक 24-02-2020

विषय : तम्बाकू नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम/स्थानीय निकायों में वेन्डर लाइसेंसिंग प्रावधान लागू करने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश (जिसकी आबादी लगभग 22 करोड़ की है) में 5.30 करोड़ वयस्क किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। 52 प्रतिशत पुरूष एवं 18 प्रतिशत महिलाएं धूम्रपान एवं तम्बाकू सेवन से लोगों में कैंसर तथा अन्य गम्भीर बीमारियाँ एवं अकाल मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग अपंग भी हो जाते हैं। जिससे एक तरफ बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को विभिन्न कार्यों के लिए प्रावधानित किये गये धनराशि को बीमार व्यक्तियों के उपचार में आर्थिक सहायता के रूप में खर्च करना पड़ता है। जिसके कारण प्रदेश वासियों का विकास प्रभावित होता है।

जन समुदाय को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाने हेतु भारत सरकार द्वारा कोटपा–2003 लागू किया गया परन्तु तम्बाकू विक्रेताओं हेतु लाइसेन्सिंग प्रणाली न होने के कारण कोटपा–2003 के प्रभावी कियान्वयन में बाधाएं आती रही है। इस संदर्भ में वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र के क्रम में नगर निगम, लखनऊ, अयोध्या व बरेली में नगर आयुक्त महोदय के स्तर से आदेश जारी किया गया है तथा नगर निगम, लखनऊ द्वारा इस हेतु नियमावली तैयार कर गजट कराया गया है।

अतः अपने अधिनस्थ जनपद के नगर निगम/स्थानीय निकायों में वेन्डर लाइसेंसिंग प्रावधान लागू करने हेतु आदेश जारी करने का कष्ट करें, ताकि आपके जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का बेहतर ढंग से कियान्वयन हो सके।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

निदेशक, (स्वास्थ्य)
लखनऊ तद्दिनांक

पत्रांक : राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0 को उनके पत्र दिनांकित 24 फरवरी 2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रेषित।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक, (स्वास्थ्य)

ई–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / 8927 लखनऊ / दिनांक– 14 / 06 / 2021

विषय:– सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 में निहित प्राविधानों के दृष्टिगत तम्बाकू उत्पाद के विक्रय हेतु प्रदेश के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक, डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1080 / नौ–9–21–121ज / 20, दिनांक 08 जून, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, (पत्र एवं ड्राफ्ट दिशा–निर्देश की छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2 सन्–1959) की धारा– 437, धारा–438 की उपधारा (1) के खण्ड–(घ), धारा–452 और धारा–541 के खण्ड (20), (41) और (49) में प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और वाणिज्य कर उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनिमय) अधिनियम–2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0–2003) के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों की नगर निगम सभी क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जनपद के समस्त नगर निगम / स्थानीय निकायों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के समस्त नगर निगम क्षेत्रों में Vendor Licensing की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

महानिदेशक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

पत्रांक–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2021–22 / तद्दिनांक

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u> (ई–मेल के माध्यम से)

1–अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।

2–अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, नगर विकास अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन।

3–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

4–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

5–समस्त जिला अधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

6–उपमहाप्रबंधक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

7–अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप समस्त जनपदों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

निदेशक (स्वास्थ्य)

कार्यालय, नगर निगम, मुरादाबाद।

पत्रांक: 605 /स्वा0वि0/न0नि0मु0/2020 दिनांक: 23 .12.2020

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हैल्थ एसोसिएशन (यू0पी0वी0एच0ए0) लखनऊ एवं जिला तम्बाकू नियत्रण प्रकोष्ठ, मुरादाबाद के द्वारा जारी पत्र संख्या मु.चि.आ./2020–21/1410M, दिनांक 11.11.2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगम/स्थानीय निकायों ने वेन्डर लाईसेंसिंग प्रादिधान लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है, उक्त एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जनपदो में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य कर रहा है।

उत्तर प्रदेश के नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का उल्लंघन करेंगे, साथ ही जनहित में प्रदेश के सभी नगर निगम/स्थानीय निकायो में वेन्डर लाईसेंसिंग प्रावधान लागू करते हुए किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण एवं सफाई आदि कार्य बिना लाईसेंस/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबन्धित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में विदित है कि लगभग 20 करोड़ की आवादी वाले उत्तर प्रदेश में 530 करोड़ व्यस्क लोग किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। (52 प्रतिशत पुरूश एवं 10 प्रतिशत महिलाएं धूमपान एवं तम्बाकू सेवन से लोगो में कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियां एवं अकाल मृत्यु/अपंगता पायी जा रही है।) इसके अतिरिक्त जहाँ एक तरफ बीमार व्यक्ति के उपचार में उसके परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है, तो वही दूसरी तरफ सरकार को विभिन्न विकास कार्यो के लिए प्रावधानित किये गए धनराषि को बीमार के उपचार में आर्थिक सहायता के रूप में खर्व करना पडता है, जिसके कारण प्रदेशवासियों का विकास प्रभावित होता है, देष में तम्बाकू जनित गंभीर बीमारियों से प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जोकि एक गंभीर चिंता का विशय है।

वर्श 2010 एवं 2016 का वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (GATS) के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि देष में तो तम्बाकू सेवन करने वालो की संख्या में 6 प्रतिशत की कमी आयी है, किन्तु उत्तर प्रदेश में तम्बाकू सेवन करने वालो की संख्या 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि अधिक आवादी वाले प्रदेष के लिए अत्यधिक चिंता का विशय है।

मुरादाबाद शहर प्रदेश के अधिक आवादी वाले शहरों में से एक है, जहाँ पर तम्बाकू पदार्थों का अधिक लोगों द्वारा सेवन तो किया ही जाता है, साथ ही यहां पर उसका निर्माण, आयात एवं बिक्री भी की जाती है, जिससे लोगो मे पैदा होती गंभीर बीमारियों के मद्देनजर नियत्रण एवं रोकथाम करना अति आवष्यक हो गया है।

भारत सरकार द्वारा तम्बाकू के उपयोग को नियत्रण कर इससे होने वाली बीमारियों से लोगो को बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन (कोटपा–2003) लागू किया गया है। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा–2003) के माध्यम से अवस्यकों, कम उम्र के युवाओं एवं जन समूह द्वारा तम्बाकू उत्पाद के उपयोग को रोकने, तम्बाकू की हानिकारक लत से बचाने तथा तम्बाकू उत्पादों के प्रचार–प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाना है।

अवस्यकों एवं कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाने के उद्देष्य से स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या D.O. NO. P-16012/14/2017-TC, दिनांक 21 सितम्बर, 2017 के माध्यम से सूचित किया गया है कि तम्बाकू उत्पाद के विक्रय करने वाले दुकानो पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना है। साथ ही तम्बाकू उत्पादों के व्यापारियों/दुकानदारों को नगर निगम या स्थानीय निकायों से लाईसेंस/अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त कर इसका विक्रय करने का सुझाव दिया है।

विदित हो कि अवस्यकों एवं किशोरों को तम्बाकू से दूर रोकने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक/नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रूपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।

मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौश्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा साथ ही किसी खाद्य उत्पाद के घटक के तौर पर तम्बाकू एवं निकोटिन का उपयोग प्रतिशिद्ध करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 पारित किया गया है। तम्बाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए कई राज्य सरकारों द्वारा अपने सम्बन्धित

नगर पालिका अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के भण्डारण, प्रसंस्करण तथा विक्रय को खतरनाक एवं आक्रामक व्यापार के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 2(46) के अन्तर्गत लोगों के स्वास्थ्य पर खतरनाक एवं जानलेवा प्रभाव डालने के कारण तम्बाकू से बने उत्पाद अपदूषण है। इस अधिनियम की धारा 114 (xii एवं xix) के अन्तर्गत संसर्गिक, संक्रामक व खतरनाक बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा आपत्तिजनक एवं खतरनाक किस्म के व्यापारों, आजीविकों एवं कार्यों का विनयमन तथा उनको समाप्त किये जाने के लिए तार्किक एवं आवश्यक प्रावधान बनाने की मुरादाबाद नगर निगम का अनिवार्य कर्तव्य है। इसी अधिनियम की धारा 437 के अन्तर्गत नगर निगम की सीमा के अंदर किसी भवन या भूमि में सार्वजनिक अपदूषण पैदा करने वाली वस्तु का निर्माण, संग्रह, व्यापार या निस्तारण के लिए को नगर आयुक्त रोक सकता है और धारा 438 के अन्तर्गत बिना नगर आयुक्त द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन तथा उसके निबंधनों और शर्तों के अनुकूल कोई व्यक्ति किसी भू–गृहादी में या उसके ऊपर कोई ऐसा व्यापार या कार्य जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो, न सम्पादित करेगा और नही सम्पादित करने की अनुज्ञा देगा।

नगर निगम के संज्ञान में आया है कि मुरादाबाद शहर के विभिन्न दुकानों/भवनों/परिसरों में तम्बाकू उत्पाद का निर्माण एवं बिक्री बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के ही की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का उल्लंघन है।

अतः उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का विनिर्माण (किसी भी विधि द्वारा), विपणन, भण्डारण, पैकिंग, प्रसंस्करण एवं सफाई मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत बिना लाईसेंस/अनुज्ञप्ति अथवा अनुमति के प्रतिबंधित है। साथ ही लाईसेंस /अनुज्ञप्तिधारक तम्बाकू विक्रेता उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का सख्ती से पालन करते हुए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA)– 2003 खाद्य संरक्षण अधिनियम 2006 एवं बाल विकास मंत्रालय का किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 का उल्लंघन नहीं करेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री नहीं करेंगे।

यदि कोई व्यापारी/दुकानदार/व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ उपर्युक्त कानून के अनुरूप दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

(संजय चौहान)
नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लखनऊ उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
4. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, मुरादाबाद।
5. समस्त जोनल अधिकारी, नगर निगम, मुरादाबाद।
6. क्षेत्रीय समन्वयक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन 5/459 विराम खण्ड, गोमती नगर लखनऊ को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुरादाबाद।

तम्बाकू नियंत्रण नीतियों में तम्बाकू उद्योग के हस्ताक्षेप को रोकने सम्बन्धी आदेश

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–7
संख्या–583/पांच–7–2019
लखनऊः दिनांक 16 सितम्बर, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

लोक स्वास्थ्य के हित में डब्लू0एच0ओ0 के फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन टोबेको कन्ट्रोल (एफसीटीसी) के अनुच्छेद–5.3 की आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन निम्नवत किया जाता हैः–

प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश	**अध्यक्ष**
प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, विधि विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
प्रमुख सचिव, खाद्य रसद एवं औषधि प्रशासन विभाग, उ0प्र0 सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश	**सदस्य सचिव**
पुलिस विभाग, उ0प्र0 सरकार के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के प्रतिनिधि	**सदस्य**
राज्य नोडल पदाधिकारी/राज्य सलाहाकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश	**संयोजक**

02– समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने में संलग्न अनुलग्नक–'क' में दिये दिशा–निर्देश एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

वी0हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्याः– 583 (1)/पांच–7–2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समिति के सदस्यगण।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, स्वास्थ्य(समन्वय), राज्य सलाहाकार, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
4– मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5– राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।
6– अधिशासी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

(शिव गोपाल सिंह)
उप सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–7 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–583/पांच–7–2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित अनुलग्नक 'क'

डब्लू0एच0ओ0 फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को राकने हेतु गठित प्राधिकृत समिति के लिए दिशा निर्देश–

तम्बाकू उद्योग के हित एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों के बीच मौलिक टकराव रहता है। तम्बाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लोक हित नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा सकती है। तम्बाकू उद्योग को किसी प्रकार की तरजीह, राज्य सरकार के तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के प्रतिकूल होगी। अतः इस मामले में सुस्पष्ट दिशा–निर्देश का रहना राज्य के लिए अत्यावश्यक है।

सामान्य दिशा निर्देश

1. लोक सेवक तम्बाकू उद्योग का कोई प्रतिनिधि किसी लोक सेवक के साथ बैठक करना चाहता है, तो ऐसी अवस्था में तम्बाकू उद्योग में किसी प्रकार का संपर्क अथवा पत्राचार करने के पूर्व यह मामला लिखित रूप में प्राधिकृत समिति के संज्ञान में लाया जायेगा।
2. तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि को प्रस्तावित बैठक की कार्यसूची लिखित रूप में स्पष्ट करनी होगी।
3. प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष एवं सचिव प्रस्तावित कार्यसूची की समीक्षोपरान्त निर्णय लेंगे कि प्रतिनिधि के साथ प्रस्तावित बैठक की जाय अथवा नहीं और सहमति की अवस्था में प्रस्तावित कार्यसूची को अंतिम रूप देंगे।
4. तम्बाकू उद्योग के द्वारा, प्राधिकृत समिति के सचिव को, प्रस्तावित बैठक से पूर्व उसमें भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का नाम एवं पदनाम उपलब्ध कराना होगा।
5. बैठक में विधि विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे बैठक के दौरान समिति के सदस्यों को आवश्यक परामर्श देंगे।
6. बैठक के पूर्व, प्राधिकृत समिति द्वारा तम्बाकू उद्योग को लिखित रूप से यह स्पष्ट कर देना होगा कि बैठक में किसी प्रकार की साझेदारी अथवा पारस्परिक सहयोग अन्तर्निहित नहीं है एवं बैठक की प्रकृति को उनके द्वारा दुष्प्रचारित नहीं किया जायेगा।
7. बैठक सरकारी विभाग के परिसर में ही संचालित होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बैठक के दौरान लिया गया फोटोग्राफ मात्र दस्तावेजी साक्ष्य (documentation) के उद्देश्य ही लिया जाय, तम्बाकू उद्योग के जनसम्पर्क गतिविधि में उपयोग हेतु नहीं।
8. सभी सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधियों से दूरभाष, ई–मेल इत्यादि के माध्यम से पारस्पारिक संपर्क स्थापित करने से बचना चाहिए।

बैठक संचालित करने की प्रकिया

- बैठक संक्षिप्त होनी चाहिए और मात्र प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित कार्यसूची के अनुसार ही होगी।
- बैठक को आवश्यकतानुसार किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राधिकृत समिति के पास होगा।
- बैठक की एक विस्तृत कार्यवाही तैयार की जानी चाहिए। साक्ष्य हेतु बैठक की वॉयस/वीडिया रेकार्डिंग भी करायी जा सकती है।
- बैठक के दौरान उठाये गये किसी प्रश्न का उत्तर यदि बाद में दिया जाना हो तो उसे आवश्यक विचार–विमर्श/ छानबीन/अध्ययन के उपरान्त पत्राचार के माध्यम से दिया जाय।
- बैठक की सूचना यथोचित ढंग से प्रचारित की जायेगी।

लोक सेवकों के लिए आचार संहिता

1. सभी लोक सेवक, जिनकी तम्बाकू नियंत्रण संबन्धी लोक स्वास्थ्य नीतियों के निर्धारण अथवा कार्यान्वयन में भूमिका है वे :–

   अ. समिति के समक्ष निम्नलिखित घोषणा करेंगे :

   क. तम्बाकू उद्योग के साथ पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान कियाकलाप के बारे में, चाहे वह लाभकारी हो या नहीं

   ख. सेवा त्यागने के उपरान्त तम्बाकू उद्योग से सम्बन्धित किसी पेशागत कियाकलाप, चाहे वह लाभकारी हो
   या नहीं, से सम्बद्ध होने का कोई इरादा तो नहीं है।

   ब. वे पदग्रहण से 30 (तीस) दिनों के अन्दर, तम्बाकू उद्योग में अपने पद को त्याग देंगे और तम्बाकू उद्योग में अपने निवेश अथवा हित का 60 (साठ) दिनों के अन्दर परित्याग कर देंगे। इस नियम के प्रयोजनार्थ, तम्बाकू उद्योग में हित में मतलब व्यक्तिगत, वित्तीय या अन्य हित शामिल हैं, **उदाहरणार्थ**

   क. तम्बाकू उद्योग में कोई वर्तमान स्वामित्व या सीधा निवेश होना।

   ख. तम्बाकू उद्योग में निदेशक परिषद का कोई सदस्य होना निगम का कोई पदाधिकारी होना या साझेदार होना।

   ग. तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान प्राप्त करना।

   परन्तु उक्त सूची तक सीमित नहीं रहेगा।

   स. वे अपने, परिवारों, संबन्धियों, मित्रों अथवा अपने से संबद्ध किन्हीं अन्वय व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए तम्बाकू उद्योग से कोई अंशदान न तो मांगेंग न ही प्राप्त करेंगे। अंशदानों में भुगतान, उपहार, सेवाएं, नकद या वस्तु रिसर्च हेतु निधि प्राप्त करना, वित्तीय सहायता, पॉलिसी ड्रफ्ट एवं विधिक परामर्श शामिल होंगे परन्तु इस तक सीमित नहीं रहेगा।

2. इस बैठक के फलस्वरूप तम्बाकू उद्योग के साथ लोक सेवकों/ संबन्धित विभागों के मध्य वास्तविक या संभावित साझेदारी अथवा सहयोग की दुर्व्याख्या उत्पन्न नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो उसे सार्वजनिक रूप से सुधारा जाय।
3. यदि किसी लोक सेवक को तम्बाकू उद्योग के किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है अथवा बिना पूर्व सूचना के तम्बाकू उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा उससे संपर्क किया गया है तो वह इस संदर्भ में शीघ्रातिशीघ्र लिखित रूप में प्राधिकृत समिति को इसकी सूचना देंगे।

—0—

ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ लखनऊ/दिनांक– 23-07-2021

विषयः–फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल एफ.सी.टी.सी. के अनुच्छेद 5.3 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/7977, दिनांक 15.11.2019 एवं पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020–21/8863, दिनांक 25.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद–5.3 के आलोक में जन स्वास्थ्य हित में उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–583/पांच–7–2019, दिनांक 16.09.2019 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2019 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर "प्राधिकृत समिति ऑन एफ0सी0टी0सी0" का गठन करवाते हुए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उक्त नियमावली में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुश्रवण करवाते हुए सूचना/प्रगति रिपोर्ट राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य)
लखनऊ/तद्दिनांक

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/8959-64

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3–उपमहाप्रबन्धक, एन.सी.डी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5–अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

कार्यालय–जिलाधिकारी वाराणसी।

पत्रांक संख्या – एसटी–जिलाधिकारी/एन0टी0सी0पी0/एफ0सी0टी0सी0 गठन/5957 दिनांक/0/08/2021

आदेश

लोक स्वास्थ्य के हित में विष्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कनवेंषन ऑन टोबैको कन्ट्रोल(एफ0सी0टी0सी0) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति का गठन निम्नवत किया गया है।

क0सं0	अधिकारी का नाम	पद
1.	जिलाधिकारी महोदय,वाराणसी।	अध्यक्ष
2.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,वाराणसी।	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी एन0टी0सी0पी0,वाराणसी।	सदस्य सचिव
4.	जिला विद्यालय निरीक्षक,वाराणसी।	सदस्य
5.	जिला बेसिक षिक्षा अधिकारी,वाराणसी।	सदस्य
6.	जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी।	सदस्य
7	नगर स्वास्थ्य अधिकारी,वाराणसी।	सदस्य
8.	समस्त जिला अपर मजिस्ट्रेट,वाराणसी।	सदस्य
9.	जिला सूचना अधिकारी,वाराणसी।	सदस्य
10.	वाणिज्य कर अधिकारी (GST)वाराणसी।	सदस्य
11.	प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज,वाराणसी।	सदस्य
12.	जिला श्रम अधिकारी,वाराणसी।	सदस्य
13	जिला कृषि अधिकारी,वाराणसी।	सदस्य

उक्त समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तम्बाकू उद्योग अथवा उनके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने में दिए गए दिशा–निर्देश एवं प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएं।

जिलाधिकारी
वाराणसी।

पत्रांक संख्या – एसटी–जिलाधिकारी/एन0टी0सी0पी0/एफ0सी0टी0सी0गठन तद्दिनांकि

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0,शासन।
2. मिशन निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
3. उपमहाप्रबंधक एन0सी0डी0,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उ0प्र0।
4. राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,उ0प्र0,लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक,उ0प्र0 बॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त के सम्बन्ध में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
वाराणसी।

संलग्नक-1

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/3863 लखनऊ/दिनांक 25-03-2021

विषयः-विश्व स्वास्थ्य संगठन के एफ0सी0टी0सी0-5.3 के आलोक में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019-20/7977, दिनांक 15.11.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन टोबैको कन्ट्रोल के अनुच्छेद-5.3 के आलोक व लोक स्वास्थ्य के हित में उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-07-2019, दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक 'क' में दिये गये दिशा निर्देशों का जनपद स्तर पर भी अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन की लोक स्वास्थ्य के हित में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु जनपद के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में निम्न पठनीय साइनेज/घोषणा पत्र लगवाने का कष्ट करें।

-:घोषणा:-

हम फ्रेमवर्क कन्वेन्शन आन टोबैको कन्ट्रोल (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में जन स्वास्थ्य नीतियों में व तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग -7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-583/पांच-07-2019, दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक 'क' में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हैं।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
जनपद-

भवदीय

(हस्ताक्षर)
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2020-21/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
2- उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3- अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि आप प्रदेश के समस्त जनपदों में तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : शिविर/17842-17938 /2020-21 दिनांक 07 सितम्बर 2020

विषय : WHO के FCTC 5.3 के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन के पत्र संख्या-यूपीवीएचए/टीसीपी/106/2020 दिनांक 19 अगस्त, 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि WHO के फेमवर्क कन्वेन्सन आम टोबैको के अनुच्छेद 5.3 के आलोक व लोक स्वास्थ्य के हित में उ0प्र0 शासन द्वारा सामान्य लोक सेवकों हेतु जारी दिशा निर्देशों के विपरीत जनपद स्तर पर भी तम्बाकू उद्योग अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लोकहित नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2020 द्वारा प्रदेश के मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों के सूचना पट पर निम्नानुसार साइनेज/घोषणा-पत्र लगाये जाने का अनुरोध किया गया है:-

घोषणा

हम डब्लू0एच0ओ0 फ्रेमवर्क कन्वेन्शन (अनुच्छेद 5.3) के आलोक में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के कियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु चिकित्सा अनुभाग -7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -583/पांच-07-2019 दिनांक 16/09/2019 में उल्लिखित अनुलग्नक "क" में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हैं ।

पदनाम .....

जनपद .....

अतः उत्तर प्रदेश वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2020 में की गयी अपेक्षानुसार उ0प्र0 शासन की लोक स्वास्थ्य के हित में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने हेतु अपने कार्यालय के सूचना-पट पर पठनीय साइनेज/घोषणा-पत्र लगवाने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

(विनय कुमार पाण्डेय)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0:शिविर/17842-17938 /2020-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं(राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ), उ0प्र0, लखनऊ।
3. उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2020 के क्रम में।

(विनय कुमार पाण्डेय)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

Tobacco Control

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : शिविर/ 25267-25361 /2020–21 दिनांक 25 नवम्बर, 2020

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूली बच्चों तक फाउंडेशन फॉर ए स्मोक फ्री वर्ल्ड ग्रांटी एवं अन्य तंबाकू कंपनियों को पहुँचने से रोकने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रक प्रकोष्ठ/2020–21/8571 दिनांक 01.10.2020 की संलग्नक सहित संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके साथ संलग्न भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी016012/08/2019 टी0सी0 दिनांक 24 जून, 2019 द्वारा सभी राज्य सरकारों को संस्था फाउंडेशन फॉर ए स्मोक फ्री वर्ड (FSFW) के साथ किसी भी तरह की साझेदारी से बचने की सलाह दी है। उक्त संस्था विश्व की सबसे बड़ी तम्बाकू कम्पनी फिलिप मोरिस इंटरनेशनल द्वारा वित्तपोषित है।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रक प्रकोष्ठ/2020–21/8571 दिनांक 01.10.2020 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(विनय कुमार पाण्डेय)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0:शिविर/ 25262-25361 /2020–21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं(राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ), उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

4-11-2020

(विनय कुमार पाण्डेय)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या–G·I·११/पांच–7–2022

प्रेशक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2022**

विषयः–Foundation for Smoke-Free World (FSFW) अथवा अन्य किसी तम्बाकू उद्योग नील फाउन्डेशन के साथ सहभागिता/सहयोग से बचने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर अपर सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी 16012/08/2019–टी0सी0, दिनांक 24 जून, 2019 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या– पी 16012/08/2019–टी0सी0, दिनांक 24 अप्रैल, 2022 (छायाप्रतियॉ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्रों के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि Foundation for Smoke-Free World (FSFW) विश्व की सबसे बड़ी तम्बाकू कम्पनी Philip Morris International (PMI) द्वारा पूर्ण वित्त पोषित इकाई है। PMI कम्पनी ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems) उपकरणों यथा ई सिगरेट आदि का उत्पादन करती है तथा इन उपकरणों को धूम्रपान के Harm Reduction Alternative के रूप में प्रमोट करती है। PMI द्वारा FSFW को वर्ष 2018 से प्रति वर्ष आठ करोड़ यू0एस0 डालर प्रति वर्ष की सहायता 12 वर्षो के लिये दी जा रही है।

3– इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) जिसमें भारत भी एक पार्टी/सदस्य है, के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार कन्वेशन के सभी सदस्य देश अपनी जन स्वास्थ्य नीतियों को अपने राष्ट्रीय कानूनो के अनुसार तम्बाकू उद्योग के व्यापारिक एवं अन्य निहित स्वार्थों से सुरक्षित रखने के लिय बाध्य है। अनुच्छेद 5.3 के कियान्वयन के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारों को तम्बाकू उद्योग के साथ संव्यवहार को सीमित रखना चाहिए तथा उसके साथ भागीदारी से बचना चाहिए।

4– कन्वेशन सचिवालय द्वारा FSFW के लान्च अवसर पर यह बयान जारी किया गया है कि यह फाउन्डेशन तम्बाकू उद्योग द्वारा वित्त पोषित है अतः इस फाउन्डेशन का जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कोई हस्तक्षेप WHO FCTC संधि का खुला उल्लघंन है। कन्वेशन सचिवालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि यह बहुत खतरनाक डेवलपमेन्ट है जिसका उदेश्य संधि के कियान्वयन को नुकसान पहुचाना है।

5— भारत सरकार द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि यू0के0 स्थित Centre For Health Research And Education (CHRE) संगठन जो FSFW, का अग्रणी मोर्चा है, देश के विभिन्न भागों में कैंसर जागरूकता कैम्प लगवाने की योजना करने की योजना बना रहा है। यह कैम्प प्रायः राज्य सरकारों एवं प्रशासनों की सहभागिता से आयोजित होते है।

6— भारत सरकार तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रतिबद्ध है और तम्बाकू की मांग और आपूर्ति में कमी करने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। इस प्रकार के कैम्पों में तम्बाकू उद्योग की सहभागिता तम्बाकू नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासो को नुकसान पहुचायेगी।

7— अतः उपरोक्त पृष्ठ भूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृहद जन स्वास्थ्य के हित में प्रदेश के सभी विभागों/संस्थानों को FSFW अथवा तम्बाकू उद्योग नीत किसी अन्य फाउन्डेशन या संगठन का किसी कार्यकम में सहयोग नहीं लेना चाहिए तथा उनके साथ सहभागिता करने से बचना चाहिए।

कृपया तदनुसार सभी सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

12.6.22

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–६१.-२१(1)/पॉच–7–2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2–महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए/परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3–महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4–समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उ0प्र0।
5–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश

संख्याः-4015 / पांच-7-2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **अपर मुख्य सचिव,**
खाद्य सुरक्षा एव औषधि प्रशासन,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) **प्रमुख सचिव,**
बेसिक / माध्यमिक /
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(3) **प्रमुख सचिव,**
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांक 27 सितम्बर, 2019**

विषयः- भारत सरकार के असाधारण अध्यादेश संख्या-59, दिनांक 18.09.2019 के द्वारा प्रख्यापित ई-सिगरेट प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इलेक्ट्रानिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम(ई0एन0डी0एस0) जिसे सामान्यतया ई-सिगरेट और अन्य समान तकनीकों के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रासायनिक / मादक द्रव्य जैसे निकोटिन के साथ प्रोपिलीन ग्लाइकोल मुख्य अपव्यय होते है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। निकोटिन एक रासायनिक पदार्थ है, जो कि लत का शिकार बनाता है और मानव शरीर के लिए जहरीला रासायनिक पदार्थ है। इसके उपयोग के कारण ह्दय रोग, श्वसनरोग हो सकता है तथा इसमें कैंसर युक्त तत्व होते हैं। इसके सेवन की लत लग सकती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।

02- उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के अध्यादेश संख्या-59, दिनांक 18 सितम्बर 2019 के द्वारा **"THE PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES (PRODUCTION, MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) ORDNANCE 2019"** (संलग्न) प्रख्यापित किया गया है।

03- उक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित कार्यवाही निम्नवत है:-

(1) <u>गृह विभाग-</u>

- अध्यादेश को प्रभावी अनुपालन कराते हुए ई-सिगरेट को प्रतिबन्धित करने हेतु सघन अभियान चलाना।
- वाणिज्यक स्थानों को चिहिन्त करते हुए ई-सिगरेट के निषेध हेतु व्यापक प्रचार-प्रचार कराया जाय।
- ई-सिगरेट विक्रेताओं को यह निर्देश दिये जायें कि वह अपने पास उपलब्ध ई-सिगरेट के वर्तमान स्टॉक को सूचीबद्ध करते हुए

नजदीकी पुलिस स्टेशन में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा में जमा करायें।

- सभी सम्बन्धित पुलिस थाना प्रभारियों को इस आशय से निर्देश किये जाय कि वह जब्त किये गये ई–सिगरेट स्टाक का नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(2) बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा विभाग –

- सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाय कि उनके यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग्स का भी औचक निरीक्षण सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाय तथा यदि किसी विद्यार्थी के पास ई–सिगरेट या उसके समकक्ष सामग्री पायी जाती है तो उसे नजदीकी पुलिस स्टेशनों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।
- आगामी 02 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर सभी शिक्षण संस्थानों में ई–सिगरेट का सेवन न करने की शपथ दिलायी जाय।
- शिक्षण संस्थानों में पैरेन्टस टीचर मीटिंग में ई–सिगरेट एवं तम्बाकू के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करते हुये जानकारी प्रदान की जाय।

(3) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग–

- ई–सिगरेट के प्रतिबन्धित किये जाने हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान में गृह विभाग से सामंजस्य स्थापित कर सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

04– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–105(1)/पांच–7–2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2– निदेशक(स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(असीम कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/7879 लखनऊ/दिनांक–26/09/2019

विषयः– राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार असाधारण अध्यादेश संख्या–59 दिनांक 18 सितम्बर 2019 के अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या–D.O. No. P-16012/23/2019-TC दिनांक–19 सितम्बर, 2019 एवं दिनांक 23 सितम्बर 2019, को आयोजित बीडियों कान्फ्रेंसिंग में सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ई–सिगरेट के अध्यादेश के अनुपालन के सन्दर्भ में सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया।

कृपया अवगत होना चाहें, कि इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम (ई0एन0डी0एस0) जिसे आम तौरपर ई–सिगरेट (ई0सी0एस0) और अन्य सामान तकनी कों के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रासायनिक/मादक द्रव्य जैसे निकोटीन के साथ प्रोपिलीन ग्लाइकोल मुख्य अप व्यय होतेहै, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और हानिकार प्रभाव पड़ता है। निकोटीन एक रासायनिक पदार्थ है, जोकि यह लत का शिकार बनाता है और मानव के लिए जहरीला रासायनिक पदार्थ है। इसके उपयोग के कारण हृदय रोग, श्वसन रोग हो सकता है तथा इसमें कैंसर युक्त तत्व होते हैं। इसके सेवन की लत लग सकती है और व्यक्ति मौत का शिकार हो सकता है।

अवगत कराना है कि उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के असाधारण अध्यादेश संख्या–59, दिनांक 18 सितम्बर 2019 के द्वारा "THE PROHIBITION OF ELECTRONIC CIGARETTES (PRODUCTION, MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, TRANSPORT, SALE, DISTRIBUTION, STORAGE AND ADVERTISEMENT) ORDNANCE 2019" (संलग्न) प्रख्यापित किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही निम्नवत है।

1. गृहविभाग–

- अध्यादेश को प्रभावी अनुपालन कराते हुए ई–सिगरेट को प्रतिबन्धित करने हेतु सघन अभियान चलाना।
- वाणिज्यकर स्थानों का चिहिन्त करते हुए व्यापक प्रचार–प्रचार कराया जाय।
- ई–सिगरेट विक्रेताओं को यह निर्देश दिये जाये कि वे अपने पास उपलब्ध ई–सिगरेट का वर्तमान स्टॉक घोषित करते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन में निर्धारित तिथि में जमा कराना सुनिश्चित करें।
- सभी सम्बन्धित पुलिस थाना प्रभारियों को इस आशय से निर्देश किये जाय कि वे जब्ती कृत ई–सिगरेट स्टाक को नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. उच्चशिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिकशिक्षा विभाग–

- सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाय कि उनके यहां अध्ययन विद्यार्थियों के स्कूल बैग्स का भी औचक निरीक्षण सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाय यदि किसी विद्यार्थी के पास

ई–सिगरेट या उसके समकक्ष पायी जाती है तो उसे नजदीकी पुलिस स्टेशनों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

- आगामी 02 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मागांधी की 150 वीं जयन्ती पर सभी शिक्षण संस्थानों में तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलायी जाय।
- शिक्षण संस्थानों में पैरेंट टीचर मीटिंग में तम्बाकू/ई–सिगरेट से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दिया जाय।

3. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग–

- ई–सिगरेट के प्रतिबन्धित किये जाने हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान में गृह विभाग से सामांजस्य स्थापित कर सहायोग प्रदान करें।

इसके अतिरिक्त जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर इन्फोर्समेन्ट की गतिविधि कराना सुनिश्चित करें इसके साथ–साथ आगामी 02 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मागांधी की 150 वीं जयन्ती पर सभी सरकारी प्रतिष्ठानों/चिकित्सा संस्थानों/शिक्षण संस्थानों में तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलायी जाय।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

निदेशक(स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 शासन।
2– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3– उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4– समस्त मुख्य चिकित्साधिकरी उ0प्र0।
5– समस्त जनपद नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को इस आशय से प्रेषित कि ई–सिगरेट के अध्यादेश का प्रभावी अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक(स्वास्थ्य)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मण्डलीय, संयुक्त शिक्षा निदेशक,
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः—शिविर/15621-15720 /2019—20 दिनांक 01 अक्टूबर, 2019

विषयः— प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों एवं कार्यालयों में ई—सिगरेट एवं तम्बाकू से बने उत्पादो के उपयोग पर, प्रभावी रूप से प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक सं0— राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019—20/7880—85 दिनांक 26 सितम्बर 2019 एवं उत्तर प्रदेश वॉलटरी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ के पत्र दिनांकित 01 अक्टूबर 2019 की संलग्नक सहित संलग्नक सहित संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में निम्नवत् कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा अपने विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्कूल बैग का औचक निरीक्षण किया जाये। यदि किसी विद्यार्थी के पास ई—सिगरेट या अन्य तम्बाकू से बने उत्पाद पाये जाते है तो पायी गयी ई—सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद को नजदीकी पुलिस स्टेशनों में जमा करायें।
2. 02 अक्टूबर 2019 को राष्टपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंन्ती पर सभी शिक्षण संस्थानों में तम्बाकू/ई—सिगरेट से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाय।
3. शिक्षण संस्थानों में पैरेंट टीचर मीटिंग से तम्बाकू ई—सिगरेट से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जाय एवं साथ ही तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलायी जाय।
4. प्रातः कालीन प्रार्थना सभा में छात्र/छात्राओं को ई—सिगरेट एवं तम्बाकू के उत्पाद आदि के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाय।

उल्लेखनीय है कि शिविर कार्यालय के पत्रांक शिविर/15310—15404/2018—19 दिनांक 28 अगस्त, 2018 द्वारा आपको शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू/सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद वस्तुओं से मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध **विस्तृत दिशा—निर्देश प्रदान कर, कड़ाई से अनुपालन** सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—उक्तवत्।

भवदीय,
01/X/19
(जयकरन लाल वर्मा)
सहायक शिक्षा निदेशक(खेल)
कृते शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0:शिविर/ 15621-15720 /2019—20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं(राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ), उ0प्र0, लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ।
3. उत्तर प्रदेश वॉलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन, 5/459, विराम खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
4. विनोबा सेवा आश्राम, इन्दिरानगर, लखनऊ।

01/X/19
(जयकरन लाल वर्मा)
सहायक शिक्षा निदेशक(खेल)
कृते शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ई0–सिगरेट/2022–23/124 लखनऊ/दिनांक–15/03/2023

विषयः– The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 के अर्न्तगत इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध पर इन्फोर्समेंट की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया भारत सरकार के अध्यादेश संख्या–59, दिनांक 18.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (संलग्नक–क) जिसके माध्यम से इलेक्ट्रानिंक सिगरेट के विक्रय एवं उपभोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। साथ ही उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1015/पांच–7–2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 (संलग्नक–ख) द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रानिक सिगरेट पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके है।

उक्त के क्रम में कृपया भारत सरकार के पत्र संख्या–P.16012/23/2019-TC दिनांक 10 फरवरी, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (संलग्नक–ग) जिसके माध्यम से The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, जिस हेतु शैक्षणिक संस्थानों के आस–पास विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि आप अपने जनपद में भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 10 फरवरी, 2023 एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1015/पांच–7–2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट एन0टी0सी0पी0 एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही महानिदेशालय की ई–मेल–nodal.ntcp.up@gmail.com पर भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(लिली सिंह)
महानिदेशक
(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/ई0–सिगरेट/2022–23/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
3–मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4–समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ जनपदों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5–महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6–उप महाप्रबन्धक, एन0टी0सी0पी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(एन0के0 गुप्ता)
निदेशक(स्वास्थ्य)

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान सम्बन्धी दिशा निर्देश

राजेश भूषण, आईएएस
सचिव

RAJESH BHUSHAN, IAS
SECRETARY

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Government of India
Department of Health and Family Welfare
Ministry of Health and Family Welfare

D.O. No. P.16012/03/2021-TC
14th August 2021

Dear Colleague,

Tobacco use is the single largest cause of preventable deaths and illness worldwide and kills half of its users prematurely, in their most productive years. Ministry of Health and Family Welfare, has recently released the key findings of the fourth round of the Global Youth Tobacco Survey (GYTS-4), 2019, which covers tobacco use among school-going children in the age group 13-15 years. A copy of the National Fact sheet and the State/UT Fact sheet of GYTS-4 for your State/UT, is enclosed herewith for ready reference.

2. As per the findings of the GYTS-4, 8.5% of students in class 8th to 10th and aged from 13 to 15 years, use tobacco in any form. The survey highlights that the prevalence of tobacco use among boys is 9.6% and among girls is 7.4%. More than 29% of students have reported exposure to second hand smoke. It is also noted that 28.8% of students have reported that they saw anyone smoking inside the school building or outside school property. Only 25.2% students have reported that they noticed the health warnings on tobacco product packs. It may also be noted that the median age of initiation on tobacco use among the children in the 13-15 years age group, has been estimated at 11.5 years for cigarettes, 10.5 years for Bidi and 9.9 years for smokeless (chewing) tobacco.

3. It is heartening to note that 85.4% school heads were found to be aware of Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA). 82.1% of schools are found to be following "tobacco free school" guidelines and 82.5% of schools have been found to be aware of the policy for displaying 'tobacco free school' signages. However, only 37.8% students have reported that they were taught in class about harmful effects of tobacco use during past 12 months.

4. Tobacco control has been one of the high priorities of the Government. The Government has taken various measures for both prevention of initiation of tobacco use among the children and youth, and for providing cessation services. COTPA-2003 contains specific provisions to discourage tobacco use among children and youth, such as ban on smoking in public places, including in all educational institutions, prohibition of sale of tobacco products to or by minors (less than 18 years of age) and prohibition of sales of tobacco products within 100 yards of any educational institution.

5. This Ministry issued the "Guidelines for Tobacco Free Educational Institutions [ToFEI]" in 2019, with the objective of providing fresh momentum to implementation of tobacco control initiatives in educational institutions. The ToFEI Guidelines lay down the roles & responsibilities of different stakeholders viz. Central Government; State Governments; Educational Institutions and Civil Society Organizations for making the Educational Institutions tobacco free. These guidelines need to be implemented by educational institutions, including schools, colleges/institutes for higher or professional education and universities, both in public and private sector. A copy of Guidelines can be accessed at https://ntcp.nhp.gov.in/assets/document/TEFI-Guidelines.pdf.

Room No. 156, A-Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Tele : (O) 011-23061863, 23063221, Fax : 011-23061252, E-mail : secyhfw@nic.in

6. It is imperative that we take all possible measures to curb the use of tobacco among children at a very young and impressionable age, in order to combat the menace of tobacco addiction. The more and the sooner, we create awareness among children about harms due to tobacco use, the better will be the outcomes in terms of reduction in prevalence of tobacco use among children and consequently among adults. I therefore, seek your intervention in the matter and request you devise and implement a comprehensive strategy to reduce prevalence of tobacco use among children.

7. It is suggested that following actions may be undertaken in collaboration with your counterpart Secretary of State Education Department, including for School Education, Higher Education and Technical Education, for enforcement of the provisions of COTPA, 2003 and for implementation of the ToFEI Guidelines: –

a. Measures for strict implementation of the provisions of COTPA 2003, which provides that –
   - Tobacco products are not to be sold to or by minors
   - No tobacco products are sold in an area within 100 yards of an educational institution. For this purpose, special campaigns may be undertaken for demarcation of such areas.
   - Schools being public places, smoking in schools be strictly prohibited.

b. Special awareness and enforcement drives may be undertaken in the period from 15th August to 2nd October 2021.

c. No Tobacco Use Pledges may be organized between 15th August to 2nd October 2021.

d. Competition and awards may be given for best Educational Institution /District/State/ NGOs etc.

8. The State/UT may customize these interventions or may also devise and implement innovative solutions towards achievements of the desired results. Resources available under the National Tobacco Control Programme, under the NHM, may be utilized for these interventions. It is requested that the State/UT Factsheet of GYTS-4 for your State/UT may be released and suitably disseminated along with the action plan of the State/UT for on various actionable points emerging out these findings.

9. I am confident that our joint and coordinated efforts will lead to desired reduction in prevalence of tobacco use among school going children and adults and will lead us towards achievement of 30% reduction in prevalence of tobacco use by 2025, as envisaged in the National Health Policy, 2017.

Warm Regards.

Yours Sincerely,

(Rajesh Bhushan)

Encls: A/a.

To : Addl. Chief Secretary/Principal secretary/Secretary (Health) of all States/UTs

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़े

राज्य परियोजना कार्यालय

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ-226 007, उत्तर प्रदेश

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः सामु0सह0/टूबेको/ 5130 /2019–20 लखनऊः दिनांकः 09 जनवरी, 2020

विषयः उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त (टी0ओ0एफइआई) बनाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि तम्बाकू का उपयोग/सेवन विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जैसे कैंसर, हृदय रोगों, फेफड़ो के रोगों, स्ट्रोक, मधुमेह, बांझपन, अंधापन, टी0बी0 आदि का एक प्रमुख कारक है। बच्चे देश का भविष्य है, उन्हें स्वास्थ्य के सम्बन्ध में हितकर जानकारी दिया जाना आवश्यक है। यदि कक्षा–1 से 8 तक के बच्चों को नशा उन्मूलन के सम्बन्ध में जागरूक किया जाता है तो देश को नशा मुक्त बनाने में कारगर होंगें।

उल्लेखनीय है कि तम्बाकू के खतरों से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं हेतु गाइडलाइन जारी की है, जिस पर SAMBANDH हेल्थ फाउण्डेशन द्वारा कार्य कराया जा रहा है। विस्तृत जानकारी हेतु संस्था के पत्र के साथ गाइडलाइन की प्रति सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को उनके जीवन रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का नशा न किये जाने एवं अपने परिवार जनों, मित्रों एवं परिचितों को भी इनसे दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में उक्त संस्था द्वारा जनपदों में जागरूकता हेतु कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसमें कृपया नियमानुसार सहयोग देने का कष्ट करें। इस हेतु विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जानी है।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: सामु0सह0/टूबेको/ /2019–20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. SAMBANDH हेल्थ फाउण्डेशन, गुड़गाँव, हरियाणा।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त चयनित स्वयं–सेवी–संस्था,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/ दिनांक–23/05/2018

विषय– स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित स्वयं–सेवी–संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने हेतु **"Yellow Line Compaign"** चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय जनपद स्तर पर चयनित 43 स्वयं–सेवी–संस्था **शैक्षणिक** संस्थाओं में शिक्षको, छात्र–छात्राओं व आस–पास के समुदाय को तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्राति जागरूक करने व तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है।

उक्त के क्रत आपको निर्देशितु किया जाता है कि वर्ष 2017–18 हेतु जनपद स्तर पर स्कूल जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उच्चतर, स्तर के विद्यालयों में "Yellow Line Compaign" चलाकर यह सुनिश्चित कराये कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व इस्तेमाल न हो।

इन गतिविधियों में विद्यालय तम्बाकू नियंत्रण समिति, अध्यापकगण, विद्यार्थियों, मीडिया एवं जन समुदाय की सहभागिता से सम्पन्न करावें ताकि अधिक से अधिक लोगों में तम्बाकू एवं तम्बाकू से होने वाले बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सके।

कैम्पेन से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, इस हेतु उ0प्र0 वॉलण्ट्री हेल्थ एसोसिएशन से भी (ई–मेल–upvhalko@gmail.com) सम्पर्क कर तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

भवदीया

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

पत्रांक–रा.तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1419-20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप महाप्रबन्धक, एन0सी0डी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिला नोडल अधिकारी को हम इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर पर "Yellow Line Compaign" कैम्पेन का अनुश्रवण कर कैम्पेन से जुडे फोटो व राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भेजने का कष्ट करें।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

"Yellow Line Compaign"

कैम्पेन का उद्येश्य–:

कैम्पैन का उद्येश्य शिक्षको : व छात्र छात्राओं व समुदाय को तम्बाकू होने वाले दुष्प्रभवों पर जागरूक कराना व मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराना है, सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के अनुसार शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। उक्त प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षको व छात्रों के सहयोग से शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में का चिंहान्कन कर तम्बाकू का प्रयोग को रोकना है।

आवाश्यक सामग्री

1. पीला पेन्ट आवाश्यकतानुसार
2. पेन्ट करने हेतु ब्रश 3–4
3. कैमरा

गतिविधियाँ

1. प्रार्थना सभा में अधिक से अधिक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को विचार साझा करने हेतु प्रोत्साहित करें।
2. प्रार्थना सभा मे सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्येश्य के बारे में जानकारी देते हुये तम्बाकू से होने वाले नुकासान के बारे में बतायें।
3. सभी प्रतिभागियों को सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 की धारा–6ब के बारे में बताते हुये "Yellow Line Compaign" के उदेश्य के बारे में अवगत कराये व बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने हेतु प्रेषित करें।
4. पीली सीमा रेखा खींचकर तम्बाकू क्षेत्र का चिंन्हाकन करने हेतु स्थानों व पेन्ट करने वाले स्वयं–सेवी–संस्था, छात्र–छात्राओं का चयन कर लें व उनको उनकी भूमिका समझा दें।
5. गतिविधि के सम्पादन करने के दौरान छाया चित्र लें। (चित्र देखे)।

6. मीडिया से रिपोर्ट साझा करें।
7. शैक्षणिक संस्थानो के चारो ओर 100 गज के दायरे में यदि कही तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हो रही है तो स्कूल प्रबंधक उसे हटाने हेतु नोटिस जारी कराये।

अपेक्षित परिणाम

- सभी प्रतिभागी तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होगें।
- स्कूल तम्बाकू नियंत्रण कमेटी के सदस्य अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हो।
- स्कूल के छात्र–छात्राओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
- शैक्षणिक संस्थान तम्बाकू मुक्त हो जिससे भावी पीढ़ी को तम्बाकू से होने दुष्प्रभावों से मुक्ति मिले।
- मीडिया के माध्यम से वृहद जन–जागरूकता होगी या अन्य संस्थाएं इस प्रकार के कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित होगी जिससे तम्बाकू के खिलाफ जन–वातावरण तैयार होने में मदत मिलेगी।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/ 6062-6065 /2017–18 दिनांक 27–12–2017

विषयः–प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं स्कूलों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सभी विद्यालय/शिक्षण संस्थानों के सभी मुख्य गेट एवं प्रमुख स्थानों पर वॉल पेन्टिग कराये जाने एवं उक्त अधिनियम के पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आधुनिक वैश्विक परिदृष्य में जहां एक ओर विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित हो रहे है वहीं भारत ही नहीं विश्व में तम्बाकू एवं उसके अन्य उत्पादों के सेवन से विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के मनमस्तिष्क प्रभावित होने के साथ उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा "सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003" के प्रावधान लागू कराये गये एवं इसके लिये निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराये जाने के लिये शासन द्वारा निर्देश प्रदान किये गये हैं:–

1. सभी विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के बाहर मुख्य द्वार के पास एक बोर्ड लगाया जाय, जिस पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान/विद्यालय प्रदर्शित किया जायेगा।

बोर्ड का प्रारूप निम्नवत् है–

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
इस संस्था के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना **COTPA 2003** की धारा **6b** के अन्तर्गत एक अपराध है उल्लंघनकर्ता पर 200/– रू0 तक का जुर्माना किया जा सकता है। **आदेशानुसार** प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका का नाम..... विद्यालय का नाम..... मोबाइल नम्बर.....

2. प्रत्येक विद्यालय के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबन्धित कर दिया गया है एवं इस अपराध हेतु रू0 200/– तक के दण्ड का प्रावधान किया गया है।
3. विद्यालय/शिक्षण संस्था में एक तम्बाकू निषेध कमेटी का गठन किया जाय जिसमें शिक्षक/छात्र स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हों।
4. विद्यालय/शिक्षण संस्था में शिक्षक/छात्र/कर्मचारी/आगन्तुक कोई भी तम्बाकू उत्पाद का सेवन नहीं करेगा और साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कार्यशालायें प्रमुखता से आयोजित की जायें।
5. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति की होने वाली बैठकों में भी तम्बाकू एवं उसके विभिन्न उत्पादों के निषेध पर चर्चा की जाय तथा तम्बाकू निषेध कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि तम्बाकू एवं उसके उत्पादों से छात्र–छात्राओं पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोके जाने के लिये अपने जनपद के समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं को उपर्युक्त से अवगत करायें तथा निर्देशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

27.12.17

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शि0)/ /2017–18, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य/राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
2– अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।
3– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
4– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

ई–मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शिविर/ 15764-15862 /2022–23 दिनांक 23 अगस्त, 2022

विषयः Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, निदेशक, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्याः 18–4/2022–IS–6 दिनांक 07 जुलाई, 2022 एवं संयुक्त सचिव(AE & Coord., स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्याः 18–29/2022–IS–15/14 दिनांक 12 जुलाई, 2022 की संलग्नों सहित संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) के सम्बन्ध में है।

2– उक्तांकित संदर्भित पत्रों में उल्लिखित है कि तंबाकू का उपयोग दुनिया भर में रोकी जा सकने वाली मौतों और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (GYTS-4), 2019 की नेशनल फैक्टशीट से पता चला है कि 13 से 15 साल की उम्र के 8.5% स्कूल जाने वाले बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का प्रयोग करते हैं। इन निष्कर्षों से यह भी संकेत मिलता है कि यद्यपि तम्बाकू का उपयोग करने वाले बच्चों के अनुपात में गिरावट आई है, तथापि लड़कियों में तम्बाकू का उपयोग बढ़ रहा है।

बच्चों और युवा वयस्कों को तंबाकू के सेवन से बचाने के उददेश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीए), 2003 में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि शिक्षा संस्थान के 100 गज के अन्दर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को या उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध और तंबाकू उत्पादों आदि किसी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विद्यापनों का निषेध है। तंबाकू के उपयोग से जुड़े नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने Tobacco Free Educational Institution (ToFEI) के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन को तेज करने की आवश्यकता है।

3– तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार के उक्त पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शिविर कार्यालय को अवगत करायें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

श्रीमती(मंजु शर्मा)
अपर शिक्षा निदेशक(व्याव0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक(मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0सं0: शिविर/ /2022–23 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। **(ई–मेल)**
2. संयुक्त सचिव(AE & Coord.), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। **(ई–मेल)**

Measurable indicators for ToFEI Self-Evaluation Scorecard for Tobacco Free Educational Institution

Name of the Educational Institution:- Name and Designation of Evaluator:- Date of Evaluation:-

Final Score of the Educational Institute: .....

Sl. No.	Criteria	Weightage Points	Scored points by the Institute
1	Display of 'Tobacco Free Area' Signage inside the premise of Educational Institute at all prominent place(s).	Mandatory (10)	
	The name/designation/contact number are mentioned / updated in the signage	Mandatory (10)	
2	Display of "Tobacco Free Education Institution" signage at entrance/ boundary wall of Educational Institute.	Mandatory (10)	
	The name/designation/contact number are mentioned / updated in the signage	Mandatory (10)	
3	No evidence of use of tobacco products inside the premise i.e. cigarette/beedi butts or discarded gutka/tobacco pouches, spitting spots.	Mandatory (10)	
4	Poster or other awareness materials on harms of tobacco displayed in the premise.	9	
5	Organization of at least one tobacco control activity during last 6 months.	9	
6	Designation of Tobacco Monitors and their names, designations, and contact number are mentioned on the signages	9	
7	Inclusion of "No Tobacco Use" norm in the EI's code of conduct guidelines	9	
8	Marking of 100 yards area from the outer limit of boundary wall / fence of the EI.	7	
9	No shops selling tobacco products within 100 yards of the Educational Institute.	7	

जुर्माने की रसीद

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनिमय) अधिनियम 2003 के तहत अपराध दर्ज करने के लिए।

रसीद क्रमांक

जिला :..... तिथि.....

श्री :.....

पिता का नाम :.....

पता :.....

.....

के द्वारा रू0 ..... शब्दों में .....

दण्ड स्वरूप प्राप्त किए। इन्हे सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनिमय) अधिनियम 2003 के तहत धारा 4 अथवा 6 का स्थान ..... पर उल्लंघन करते हुए पाया गया।

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

विभाग का नाम :.....

चालान

उत्तर प्रदेश शासन

सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनिमय) अधिनियम 2003 के तहत अपराध दर्ज करने के लिए।

बुक क्रमांक रसीद क्रमांक

जिला :..... तिथि :.....

1. दोषी व्यक्ति का नाम श्री .....

पिता का नाम श्री .....

पता :.....

2. अपराध का दृश्य जिसमें तिथि, समय तथास्थान सहित :.....

.....

3. सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनिमय) अधिनियम 2003 (2003 का 34) के तहत अपराध का विवरण :.....

.....

.....

.....

4. जबकि आपके उक्त वर्णित अपराध के लिए एतद्द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है, अतः आपको श्री/श्रीमती/सुश्री ..... स्थान.....

को..... बजे अपना उत्तर देने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, जब तक कि इस कोर्ट के द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किए जाते।

दोषी व्यक्ति के बाएं हाथ के
अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर, नाम तथा पूरा पता सहित

.....

.....

.....

.....

नाम.....

विभाग का नाम :.....

'' जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं ''

रसीद देना व प्राप्त राशि का जमा किया जाना

धूम्रपान निषेध अधिनियम के अर्न्तगत उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम रू0 200/– तक जुर्माना आदि कोषागार रसीद संख्या 385 पर वसूल कर, लेखा शीर्षक – 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य 800 अन्य प्राप्तियाँ, 04 स्वास्थ्य निदेशक के अन्य प्राप्तियाँ में जमा कर दिया जाए।

शिकायत कहाँ करें :–

उ0 प्र0 में सम्बन्धित जिले में जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी से।

प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस थाने में।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

प्रत्येक माह में किये गये चालान एवं रसीद का विवरण निम्न पते पर, अगले माह की 05 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें।

जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

Annexure:

Monthly reporting format for COTPA violations/action taken

Name and address of the Department or organization..

Total no. of Challans and fines collected

	Name of Department	Section 4			Section 6(a)			Section 6(b)			Section 5	Section 7	Cumulative fine amount collected (Rs.)
		No. of challan done	No. of cases sent to court	Amount of fine collected (Rs.)	No. of challan done	No. of cases sent to court	Amount of fine collected (Rs.)	No. of challan done	No. of cases sent to court	Amount of fine collected (Rs.)	No. of cases sent to court	No. of cases sent to court	
1													
2													
3													

Name/Signature of reporting officer

Please note: This report must be sent to the District tobacco control cell (DTCC) on or before.. (day) of every month. In case, if no challans are made and no fines are collected, it may be reported as nil, but timely reporting is must.

The report can also be sent through via an email – (upvhalko@gmail.com) to district tobacco control cell.

कोषागार प्रपत्र – 209 (1)
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–2
(प्रस्तर 417 एवं 473 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उप कोषागार/बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा,

1–जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .....

2– पता .....
.....

3–पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या .....

4–जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा धारा 4 के अन्तर्गत किस विभाग पक्ष में जमा की जा रही है) .....
.....

5–चालान की संकल राशि .....
6–चालान की निकल राशि .....
7–लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मोहर 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
8–लेखा शीर्षक का 11 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक लघु शीर्षक व्यौरे वार शीर्षक

0	2	1	0	0	4	8	0	0	0	4

धनराशि अंको में
_____
_____

धनराशि (शब्दों में) रू0.....
चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले.....
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित.....

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ..... अंको में रू0 .....
दिनांक ..... शब्दों में रू0 .....

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उप कोषागार/बैंक की मोहर सहित

विश्व तम्बाकू निषेद दिवस 2023
(डब्ल्यूएनटीडी)
सम्बन्धित आदेश, परिपत्र

वी. हेकाली झिमोमी, भा.प्र.से.
अपर सचिव

V. Hekali Zhimomi, IAS
Additional Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhawan, New Delhi - 110011

D.O. No. P.16016/01/2020-TC

Dated, 23rd May, 2023

Dear Madam/Sir,

As you are aware, 31 st May is observed as World No Tobacco Day (WNTD) every year. This offers an opportunity to highlight the health and other risks associated with tobacco use, and for advocacy of effective implementation of the policies targeted to reduce tobacco consumption. This year, the theme of World No Tobacco Day 2023 is "We Need Food, Not Tobacco". This campaign encourages governments to end tobacco growing subsidies and to use the savings to support farmers, to switch to more sustainable crops that improve food security and nutrition. More details regarding WNTD 2023 are available at https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2023

We appreciate the efforts made by the States/UTs on last year's WNTD 2022 and this year too, it is suggested that following activities be undertaken for commemoration of the WNTD 2023 –

1. It is may be noted that the Ministry is planning to undertake the " **Tobacco Free Youth Campaign**" which is proposed to be launched PAN India on 31st May, 2023 and in this regard, we request all the States/UTs to take necessary action/pre-planning for debriefing the District Nodal Officers and concerned stakeholders. A Tobacco Free Youth Campaign Module in this regard is enclosed for reference.
2. It may also be noted that commemoration of the WNTD is already one of the 39 approved activities under the Health & Wellness Calendar to be followed at the Health & Wellness Centres (HWCs). It is requested that instructions may be given to the Health & Wellness centres of your state/UT, to make participant take the "No Tobacco Pledge" from 31/05/2023 to 21/06/2023 (International Yoga Day). A copy of the pledge is enclosed. Efforts may be made for maximizing participation in such sessions.
3. Special drives may be undertaken in the State/UT for enforcement of provisions of COTPA, 2003, especially provisions of **Section 4** (prohibition on ban on smoking in public places); **Section 6** (prohibition on sale within 100 yards of an educational institution & sale to and by persons aged less than 18 years) & **Section 7** (prohibition on sale of tobacco products without statutory pictorial warnings), of the Act.
4. An action plan for implementation of the Guidelines for "Tobacco Free Educational Institutions (ToFEI)" may be prepared and launched at the state level event to be organised for commemoration of WNTD 2023, with the target that all the Educational Institutions implement the Guidelines and are certified as tobacco free before WNTD 2024.

Room No. 254, 'A' Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Tel. : 011-23061706, 23061398, E-mail : zhimomiv@ias.nic.in

5. The Ministry is also enabling a provision for citizens to take a "No Tobacco Pledge" directly on the MyGov platform of the Government of India. States may give wide publicity to this and encourage maximum participation in the campaign from 31st May to 21st June 2023.
6. The Ministry has already launched the NTCP MIS for monitoring of efforts for implementation of COTPA and other activities under the NTCP. It is requested that the actions taken for implementation of various activities of the NTCP and the efforts for enforcement of provisions of COTPA, during FY 2022-23, may be updated by states on the NTCP MIS by 27/05/2023. MIS may be updated regularly hereafter.

It may be noted that the above list is only indicative and the States/UTs are encouraged to undertake other measures too with the objective of tobacco control in the larger public interest. Resources available under the NHM {FMR code NCD.4 (S. No. 104 and 105)} may be utilized for implementation of all the above activities.

I request your personal attention and leadership for implementation of various tobacco control activities in your State/UT and look forward to your action taken report in this regard.

With regards,

Yours sincerely,

(V.Hekali Zhimomi)

Encl: as above

To

Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary – Health, All States/UTs

Copy to:

Mission Director, National Health Mission, All States/UTs

PLEDGE

On this occasion of World No Tobacco Day, I take a pledge that I shall never use or consume any type of tobacco products in my life. I shall motivate all my family members, friends and acquaintances also to not to use any tobacco products. I shall also contribute to protection of my environment from use of tobacco products.

शपथ

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ, कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगा/करूंगी एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी । इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने मे योगदान करूंगा/करूंगी ।

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एन0सी0डी0/एन0टी0सी0पी0/2023–24/1795 दिनांक–26-05-202

विषयः–"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023" के उपलक्ष्य पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–पी0 16016/01/2020–टी0सी0, दिनांक 23 मई, 2023 (संलग्नक–क) द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023 अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियों को संचालित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है–

1– प्रदेश के समस्त जनपदों में "तम्बाकू मुक्त युवा अभियान"(Tobacco Free Youth Compaign) का वृहद अभियान चलाया जाय।

2– प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर "NO Tobacco Pledge" दिनांक 31.05.2023 से 21.06.2023 (राष्ट्रीय योग दिवस) तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाय।

3– प्रदेश में Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 (COTPA-2003) (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003) का प्रभावी संचालन/प्रवर्तन कराया जाय।

4– भारत सरकार द्वारा प्रदत्त "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" ऑपरेशनल गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए समस्त शिक्षण संस्थानों को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2024 तक तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना।

5– "तम्बाकू निषेध दिवस" के उपलक्ष्य पर दिनांक 31.05.2023 से दिनांक 21.06.2023 तक "No Tobacco Pledge" (भारत सरकार के MYGov एप पर) अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अधिक से अधिक व्यक्तियों को उक्त अभियान में प्रतिभाग किया जाना।

6– राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम(एन0टी0सी0पी0) के अर्न्तगत निहित गतिविधियों एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 के अर्न्तगत निहित धारा/उपधारा का प्रभावी अनुपालन कराते हुए सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट दिनांक 27.05.2023 तक एन0टी0सी0पी0–एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया जाना।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त गतिविधियों को सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एन0सी0डी0/एन0टी0सी0पी0/2023–24 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, शासन।

2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, सरोजनी नायडू मार्ग, कैण्ट, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
5. निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,य उ0प्र0।

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

ई–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–निदेशक माध्यमिक
उत्तर प्रदेश।

2–निदेशक, बेसिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023–24 / 274 लखनऊ / दिनांक– 30 / 05 / 2023

विषयः–"विश्व तम्बाकू निषेध" दिवस के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस"** के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–31 मई, 2022", **"We Need Food, Not Tobacco"** थीम पर मनाया जाना है।

पुनः अवगत कराना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023 के उपलक्ष्य पर दिनांक 15 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक एक माह का जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली हानियों / दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों / युवाओं इत्यादि को जागरूक किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023 के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हुए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों को निम्नलिखित गतिविधियों को सम्पन्न करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें–

1–आपके अधीनस्थ जनपद स्तरीय कार्यालयों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के अर्न्तगत निहित धारा–4 एवं धारा–6 का अनुपालन करवाना।

2–आपके अधीनस्थ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों / प्रतियोगिता अथवा अन्य कार्यशालाओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु चर्चा / बातचीत।

3–जनपद / ब्लॉक स्तर पर रैली / गोष्ठी / कार्यशाला / नुक्कड़ नाटक / पोस्टर / निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।

4–राज्य / जिला स्तरीय आयोजित होने वाली कार्याला / बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण किया जाना।

5–जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसाार।

6–प्रिंट / इलेक्ट्रानिक / सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार–प्रसार।

7–राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करना तथा उक्त की सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थापित जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित करवाना।

8–आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।

9–आशा–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार।

10–भारत सरकार द्वारा प्रदत्त "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान" ऑपरेशनल गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन करवाते हुए समस्त शिक्षण संस्थानो को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना।

11–अन्य गतिविधियां।

भवदीय

(एन0के0 गुप्ता)
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023–24/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. अनुसचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महाप्रबन्धक, रा0का0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. अधिशाषी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ

(सुनील पाण्डेय)
राज्य नोडल अधिकारी
(एन0टी0सी0पी0)

ई–मेल/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक, पंचायती राज
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023–24/281 लखनऊ/दिनांक–30/05/2023

विषयः–"विश्व तम्बाकू निषेध" दिवस–2023 के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस"** के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–31 मई, 2022", **"We Need Food, Not Tobacco"** थीम पर मनाया जाना है।

पुनः अवगत कराना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023 के उपलक्ष्य पर दिनांक 15 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक एक माह का जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों/युवाओं इत्यादि को जागरूक किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023 के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हुए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को निम्नलिखित गतिविधियों को सम्पन्न करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें–

1–आपके अधीनस्थ जनपद स्तरीय कार्यालयों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के अर्न्तगत निहित धारा–4 एवं धारा–6 का अनुपालन करवाना।

2–आपके अधीनस्थ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/प्रतियोगिता अथवा अन्य कार्यशालाओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु चर्चा/बातचीत।

3–जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।

4–राज्य/जिला स्तरीय आयोजित होने वाली कार्याला/बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण किया जाना।

5–जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसाार।

6–प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार–प्रसार।

7–राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करना तथा उक्त की सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थापित जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित करवाना।

8–आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।

9–नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।

10–पंचायती राज विभाग के अर्न्तगत स्थापित प्रत्येक इकाई पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

11–समस्त जनपद स्तरीय पंचायतीराज कार्यालय/विकास खण्ड/ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना।

12–आशा–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार–प्रसार।

13–ग्राम पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के माध्यम से ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान आयोजित करना।

14–VHND/AHD/JAS आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर–किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना।

15–अन्य गतिविधियां।

भवदीय

(एन0के0 गुप्ता)
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023–24/ तद्दिनांक–

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. अनुसचिव, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार, नई–दिल्ली।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. महाप्रबन्धक, रा0का0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. अधिशाषी निदेशक, यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ

(सुनील पाण्डेय)
राज्य नोडल अधिकारी
(एन0टी0सी0पी0)

ई–मेल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक, खेल निदेशालय,
खेल भवन, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2023–24 / 969 लखनऊ / दिनांक–30 / 05 / 2023

विषयः–"विश्व तम्बाकू निषेध" दिवस–2023 के उपलक्ष्य पर प्रस्तावित गतिविधियों के आयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि तम्बाकू नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के विभिन्न प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है।

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस"** के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–31 मई, 2022", **"We Need Food, Not Tobacco"** थीम पर मनाया जाना है।

पुनः अवगत कराना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023 के उपलक्ष्य पर दिनांक 15 मई, 2023 से 15 जून, 2023 तक एक माह का जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू से होने वाली हानियों / दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों / युवाओं इत्यादि को जागरूक किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विश्व तम्बाकू निषेध दिवस–2023 के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हुए अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों को उक्त वर्णित गतिविधियों को सम्पन्न करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें–

1–आपके अधीनस्थ जनपद स्तरीय कार्यालयों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)–2003 के अर्न्तगत निहित धारा–4 एवं धारा–6 का अनुपालन करवाना।

2– आपके अधीनस्थ होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों / खेल प्रतियोगिता अथवा अन्य कार्यशालाओं में तम्बाकू नियंत्रण हेतु चर्चा / बातचीत।

3–जनपद / ब्लॉक स्तर पर रैली / गोष्ठी / कार्यशाला / नुक्कड़ नाटक / पोस्टर / निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।

4–राज्य / जिला स्तरीय आयोजित होने वाली कार्याला / बैठकों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन का प्रस्तुतीकरण किया जाना।

5–जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तम्बाकू नियंत्रण हेतु व्यापक प्रचार–प्रसाार।

6–प्रिंट / इलेक्ट्रानिक / सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार–प्रसार।

7–राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित करना तथा उक्त की सूचना सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थापित जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रेषित करवाना।

8–आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।

9–नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार।

10–खेल विभाग के अर्न्तगत स्थापित प्रत्येक इकाई पर कार्यरत प्रशिक्षक अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों/अभ्यर्थियों को को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

11–अन्य गतिविधियां।

भवदीय

(एन0के0 गुप्ता)
निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांकः–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2023–24/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0।
4. महाप्रबन्धक, रा0का0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

(सुनील पाण्डेय)
राज्य नोडल अधिकारी
(एन0टी0सी0पी0)

संकल्प

मैं, शपथ लेता हूं, कि जनपद को, तम्बाकू मुक्त बनाने के महा अभियान में सच्चे मन के साथ लगूंगा व व्यक्तिगत स्वास्थ्य एव ंजनस्वास्थ्य की दृष्टि से मैं स्वयं तम्बाकू का सेवन नहीं करूंगा तथा समाज को तम्बाकू सेवन न करने के लिए प्रेरित करूंगा तथा समय बद्व कर अपने कार्यस्थल को तम्बाकू मुक्त करने के साथ मैं अपना योगदान दूंगा।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मुख्य उपलब्धियाँ

****

- वर्ष 2020–21 में विभिन्न हितग्राहियों हेतु 1241 कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा 25309 प्रतिभागियों का तम्बाकू नियंत्रण सम्बन्धी विषय पर क्षमतावर्धन किया गया व संवेदित किया गया ।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 54562 व्यक्तियों को तम्बाकू पत्पादों का प्रयोग छोडने हेतु परामर्श सेवायें प्रदान की गयी।
- वर्ष 2021–22 के लिए राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश को क्षेत्रीय डब्ल्यू.एच.ओ. का विश्व तम्बाकू निषेघ दिवस के अवसर पर प्रदान किये जाने वाला प्रितिष्ठित WHO WNTD पुरस्कार प्रदान किया गया।
- प्रदेश में कानपुर नगर, कन्नौज, मुरादाबाद, फर्रूखाबाद व जालौन के जिला प्रशासन द्वारा तम्बाकू मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है।
- उत्तर प्रदेश में तम्बाकू विक्रेताओं हेतु तम्बाकू वेण्डर लाइसेन्सिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला प्रदेश बना।
- उत्तर प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण नीतियों के तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को राकने हेतु नीति का निर्माण लागू किया गया व जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण हेतु प्राधिकृत कमेटियों का गठन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोटपा के प्राविधानों के अनुपालन न करने के दोषी पाये गये 2683 व्यक्तियों पर 419166 रूपये अर्थदण्ड वसूला गया।
- विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा हुक्काबार पर छापा मारने की कार्यवाहियों सहित नियम विरूद्ध तम्बाकू पदार्थों के उत्पादन, विनियमन, भंडारण पर छापेमारी की गयी व भारी मात्रा में गैर कानूनी तम्बाकू उत्पादों को सीज किया गया।
- प्रदेश में इलेक्ट्रानिक सिगरेट का उत्पाद व बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया।
- प्रदेश में खुली सिगरेट की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया।
- प्रदेश में शिक्षा विभाग से व गैर सरकारी संगठनों के साथ यलो लाइन के माध्यम से व कोटपा की धारा 6 व धारा 4 का अनुपालन कराते हुए लगभग 25800 विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित कराया गया।
- पंचायती राज विभाग के साथ सामंजस्य बनाते हुए ललितपुर, अम्बेडकरनगर व फतेहपुर जनपदों की लगभग 250 ग्राम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया।
- प्रदेश में विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित करते हुए यलोलाइन कैम्पेन चलाकर कोटपा की धारा–4 का अनुपालन कराते हुए लगभग 3500 सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया।
- कोविड–19 महामारी के मद्देनजर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग तथा थूँकने को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया।
- विभिन्न मीडिया माध्यमों पर तम्बाकू नियंत्रण से सम्बन्धित लगभग 1250 से अधिक मीडिया स्टोरी का प्रकाशन व कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ।
- जनपद– झाँसी, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, फरूखाबाद, मुरादाबाद, कन्नौज और ललितपुर के सभी सरकारी कार्यालयों को यलोलाइन कैम्पेन चलाकर व कोटपा की धारा–4 को लागू करते हुए सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया।

राजकीय इण्टर कालेज - फतेहपुर
तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान फतेहपुर

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
Shot on OnePlus
Powered by Triple Camera

The Union
NATIONAL HEALTH MISSION
"We Need Food
Tobacco"
Dr. BPS Kalyani
Dr. N K Gupta
Dr. Amit Yadav

Tobacco Survey Factsheet
Jai Pratap Singh
Health Minister UP